MR. DEPUTY-SPEAKER:

"That this House do agree with the Tenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 26th November, 1980."

The motion was adopted

---

**15.08 hrs.**

## RESOLUTION RE: IMPLEMENTATION OF POLICIES AND PROGRAMMES FOR TRIBAL AREAS AND SCHEDULED CASTES—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Further Discussion on the following Resolution moved by Shri Giridhar Gomango on 1st August, 1980—(*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Sir, the time allotted is one hour and twenty minutes for this. (*Interruptions*) I have to move one item, after this.

MR. DEPUTY-CHAIRMAN: Mention it after one hour and nineteen minutes.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: There are many speakers on that. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: You want the time to be extended?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Let us discuss it till five minutes to six. (*Interruptions.*) I don't want to . . (*Interruptions*)

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): The time should be extended.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I have got a resolution. I have to move it. (*Interruptions*) I hope. Hon. Members won't mind it. (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): This is a very important matter. We have taken both State and tribal plans.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Paswan.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, मैं उस दिन कुछ उदाहरण दे रहा था और मैं समझ रहा था कि जब से पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ था इसके बाद जो हरिजन-आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वे मकवाना जी के प्रयासों से, होम मिनिस्टर के प्रयास से और भारत के प्रधान मंत्री और भारत सरकार के प्रयास से कम होंगे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया और इसका एक ही कारण है, जो कि मैं ने उस दिन कहा था कि सरकार चाहे हरिजनों के लिए जितना चिल्ला ले, लेकिन सरकार की नीयत कभी साफ नहीं है, और यही कारण है, कि जब तक नीयत आप की साफ नहीं रहेगी तब तक आप चा जितनी योजनाएं बनाएं, चाहे जितना समय खर्च करें, उसका कोई उपयोग नहीं होगा।

सभापति महोदय : मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अभी पूरे देश में हरिजनों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जो घटनाएं घटी हैं, उसका लेखा-जोखा अखबारों से आप कर लीजिए। कोई ऐसा दिन नहीं मिलेगा जिस दिन हरिजनों या आदिवासियों और कमजोर वर्ग के ऊपर अत्याचार न हुआ हो, उनकी हत्याएं न हुई हों, लेकिन सरकार को इस से कोई मतलब नहीं है।

सभापति महोदय, मैं बौद्ध गया का जिक्र कर रहा था। हमारे बिहार में एक-एक आदमी के पास 10–10, 20–20 एजार एकड़ जमीन है और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी के पास 20 धुर जमीन भी नहीं है। सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए, हरिजन-आदिवासियों

के लिए काम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ यह हालत है । कैसे आप हरिजन-आदिवासी की रक्षा करेंगे जब कि आपके पास हिम्मत नहीं है, आप बड़े लोगों से जमीन नहीं छीन सकते । जब तक आपके पास यह हिम्मत नहीं आएगी तब तक आप चाहें कि हरिजन-आदिवासी और गरीब लोग खुश रह, यह नहीं हो सकता ।

अभी आपने अंघोरा के संबंध में पढ़ा होगा, सासाराम जिले का मामला है, यहां पर आदिवासी लोग 14 मील ऊंचे पहाड़ पर बसे हुए हैं, सेठ-साहूकार लोग वहां पर जाते हैं , सौ-दौ -सौ रुपए देकर उसकी जमीन ले लेते हैं, उस के बाद उस जमीन को लेकर उसकी जमीन पर उसी से काम करवाते हैं और बाद में कह देते हैं कि यह सब सूद में जमा हो गया और इस प्रकार पुश्त दर पुश्त वे सूद भरते रहते हैं । बौद्ध गया का मामला मैंने उठाया । वहां पर एक महन्त हैं, वे कहते हैं कि उन के पास कोई परिवार नहीं है, लेकिन उसके पास 22000 एकड़ जमीन है । उसको इतनी जमीन रखने का क्या अधिकार है । इस पर संघर्षवाहिनी के लोगों ने आन्दोलन चलाया , हरिजन-आदिवासियों ने आंदोलन चलाया, पिछली बार तीन हरिजनों को मार दिया गया, हरिजन जो कि सब से कमजोर वर्ग के होते हैं, उन को कत्ल कर दिया गया । वह जमीन अभी भी हरिजन आदिवासी के कब्जे में है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आंदोलन हो रहे हैं, प्रतिदिन अखबारों में समाचार निकल रहे हैं, लेकिन इस के बाद भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । न बिहार के प्रशासन , न दिल्ली के प्रशासन में इतनी हिम्मत है कि वह हरिजन आदिवासियों को उन के अधिकार दे सके ।

सरकार चाहे कितनी ही नीतियां बना ले, लेकिन जब तक हिम्मत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता । तलवार भले ही आप के पास है, लेकिन अगर उसे चलाने के लिए हाथ नहीं हैं तो उस तलवार से आप कुछ नहीं कर सकते । सिर्फ नीति बना देने से, भाषण दे देने से मामला हल नहीं होगा ।

सभापति महोदय, अभी सिंहभूमि जिले में 15 आदिवासियों की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई, लेकिन इस संबंध में अभी तक इस सदन में एक मिनट भी चर्चा नहीं हो पाई है । सरकार द्वारा यह नहीं कहा गया कि यह हत्या क्यों हुई । इस से हत्यारों का मन बढ़ा है और हरिजन-आदिवासी का मन घटा है, चाहे उस के लिए पैसा दे दीजिए, योजना बना दीजिए, कुछ काम नहीं आएगा । सब से पहले आप हरिजनों , आदिवासियों, कमजोर वर्ग के लोगों को विश्वास दिलाएं कि यह देश उनका है । उन को अभी तक इसका विश्वास नहीं हो पाया है कि यह देश उन का है । उन की संख्या कम नहीं है । उन का मन मरा हुआ है, पेट भी मरा हुआ है, दिमाग भी मरा हुआ है । उन के मन को हजारों साल से मार कर रखा गया है, आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से । उनका हर तरह से शोषण हुआ है । उनको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें । यह सब किए बिना आप करोड़ों रुपया उन के वास्ते खर्च कर दें उनका उद्धार नहीं होगा । नीति और नियत साफ होनी चाहिये । मकवाना जी होम मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब कभी हरिजनों और आदि वासियों के संबंध में प्रश्न किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो राज्य सरकारों को निदेश जारी किए गए हैं उनका कहां तक इम्प्लमेंटेशन हो रहा है तो जबाब मिल जाता है कि आशा की जाती है कि राज्य सरकारें उन पर अमल करेंगी । कानून आप बनाते है, निर्देश आप देते है ,राज्यों में आपकी सरकारें हैं लेकिन आप कहते है कि आप आशा करते

[श्री राम विलास पासवान]

है कि वे उनको कार्यान्वित करेंगी । जब कहा जाता है कि पूर्व चलो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पश्चिम की ओर जा रहे है । मैंने पिछली बार कहा था कि मुझ को शंका है कि कहीं भारत सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को उनके कान में जाकर यह तो नहीं कह दिया है कि यदि हम हां कहे तो न समझना और जब न कहें तो ना समझना । जब कभी जोर से सरकार कहती है कि वह हरिजनों और आदिवासियों की रक्षा करना चहती है तो देखने में आता है कि उननी ही जोर से इन पर अत्याचार होने लग जाते है ।

एस सी एस टी में हम लोग साउथ गए थे। एक घटना के बारे में हमने मकवाना जी को लिखा है, प्रधान मंत्री जी को भी लिखा है। एक जगह पर सतरह हरिजन महिलाओं के साथ रेप किया गया । रेप करने के समय उस हरिजन महिला का जो पति था उस की भी जमीदार के द्वारा तुरन्त हत्या कर दी गइ । हत्या के बाद वहां हरिजन आदिवासी संघ के लोगों ने जलूस निकाला : पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उन लोगों को जेलों में वन्द कर दिया।**

गृह मंत्रालय कानून वनाता है , कायदा बनाता है लेकिन उसका पालन किसी भी कार्यालय में नहीं होता है । कल बोकारो स्टील प्लांट से लोग आए थे । वे कह रहे थे कि हमारी ज़मीन छीनी गई है। सरकार के कानून के मुताबिक जिस किसी हरिजन या किसी अन्य जाति वाले की ज़मीन छीनी जाती है, उस को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है लेकिन यहां ऐसा भी नहीं हुआ है । अगर इस आधार पर किसी को नौकरी मिल भी गई है और वह रिजर्व्ड कोटे में आता है तो उस को इस में जोड़ दिया गया और इस आधार पर कह दिया जाता है कि रिजर्वेशन मिल गया है । देखने में आता है कि आदिवासियों को, हरिजनों को दूकानें नहीं मिलती हैं । इस वास्ते आप नियत साफ करें । चाहे सरकारी नौकरी हो, , व्यापार हो, कारखाने हों सब चीजों में आप आरक्षण की व्यवस्था करें ।

एंटी शैड्यूल्ड कास्ट और एंटी शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग यहां बोट क्लब पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म करो। भारत सरकार की नाक के नीचे यह असांविधानिक काम हो रहा है । यह आरक्षण, इस सरकार ने हम को नहीं दिया है । इंदिरा गांधी ने मुझे आरक्षण नहीं दिया है । यह आरक्षण मुझे मिला है संविधान के तहत, लड़ कर मिला है और जब तक यह सदन रहेगा इस देश में पार्लियामेंट रहेगी, मुझे इस अधिकार से कोई बंचित नहीं कर सकता है । यह किसी की व्यक्तिगत देन नहीं है । जब यह एक सांविधानिक अधिकार है, तो अगर संसद् के बग़ल में, उस से सौ गज की दूरी पर , लोग आमरण अनशन पर बैठते हैं और कहते हैं कि रिज़र्वेशन को ख़त्म करो, और भारत सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है , तो इस का मतलब यह है कि भारत सरकार भीतर ही भीतर लोगों को ऐसे आन्दोलन करने के लिए उकसाती है । इस लिए यह सरकार अपनी नीयत और अपनी नीति को साफ़ करे ।

मंत्री महोदय भी उसी परिवार से आये हैं और पूरी स्थिति को जानते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं । मैं यह नहीं कहता हूं कि विरोधी दल के सभी लोग ग़रीबों के पक्षपाती और हितैषी हैं और सत्ता पक्ष के लोग उन के दुश्मन

**Expunged as ordered by the Chair.

श्रौर विरोधी हैं । मैं चाहूंगा कि सरकार यह देखे कि वह जो फंड्ज़ देती है , उनका सही उपयोग हो रहा है या नहीं—बीच में कहीं कोई राक्षस या जानवर तो नहीं है, जो उन फंड्ज़ को गरीबों तक नहीं पहुंचने देता है । सब से बड़ी बिडम्बना यह रही है कि हरिजनों पर अत्याचार करने वालों, हरिजनों के श्रारक्षण को न मानने वालों श्रौर हरिजनों के श्रारक्षण को हड़प करने वालों में से एक भी पदाधिकारी खिलाफ़ श्राज तक कार्यवाही नहीं हुई है । सरकार यह मन बना ले कि ऐसे दस लोगों को चुन कर कठोर से कठोर सज़ा दीं जाये, जो हरिजनों श्रौर श्रादिवासियों के श्रारक्षण को पूरा नहीं करते हैं श्रौर उन पर जुल्म करते हैं । श्रांखें निर्दोष श्रादमियों की नहीं निकालनी चाहिए । श्रांखें ऐसे श्रफ़सरों की निकालनी चाहिए, जो हरिजनों श्रौर श्रादिवासियों के हक को मार रहे हैं । जो हरिजनों श्रौर श्रादिवासियों की श्रौरतों के साथ बलात्कार करते हैं श्रौर उनकी ज़मीन को छीनते हैं । तभी हरिजनों श्रौर श्रादिवासियों के लिए सरकार ने जो रुपया दिया है , उसका सही ढंग से उपयोग होगा ।

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री गोमांगो ने हरिजनो श्रौर श्रादिवासियों के सम्बन्ध में जो रेज़ोल्यूशन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

1971 की जन-गणना के श्रनुसार श्रनुसूचित जातियों की जनसंख्या सारे हिन्दुस्तान में 3.80 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 6.94 प्रतिशत है, श्रौर श्रनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या 4.11 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 7.5 परसेंट है । होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स में दर्शाया गया है कि सरकारी नौकरियों में हरिजनों श्रौर श्रादिवासियों को कितना श्रारक्षण दिया जाता है । 1979–80 में नौकरियों में इन वर्गों का जो प्रतिशत रहा है, मैं उसके कुछ श्रांकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं । प्रथम श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 15 प्रतिशत श्रारक्षण है, लेकिन वह 4.75 प्रतिशत रहा श्रौर श्रनुसूचित जन-जातियों के लिए 7.5 प्रतिशत के स्थान पर 0.49 परसेंट रहा द्वितीय श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिशत 7.37 श्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का 1.03 रहा । इसी तरह से तृतीय श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिशत 12.50 श्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का 3.11 रहा । चतुर्थ श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिशत 19.32 श्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स का 5.19 रहा ।

केन्द्रीय सरकार श्रौर राज्य सरकारों ने रोस्टर श्रौर कैरी फ़ार्वर्ड के नियम बनाये हैं, लेकिन इन श्रांकड़ों से पता चलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से ले कर पांचवीं पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने तक संतोषपूर्ण कार्य नहीं हुए हैं—छठी पंच-वर्षीय योजना बनने जा रही है—हरिजनों श्रौर श्रादिवासियों की कोई भलाई नहीं हो पाई है ।

मैं श्रांकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स श्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिए जो रुपया रखा था, वह कहां तक इन वर्गों पर खर्च हुश्रा है । :

| | | करोड़ रु0 |
|---|---|---|
| प्रथम पंच वर्षीय योजना— | | |
| | 1951–56 | 30.04 |
| द्वितीय पंच वर्षीय योजना— | | |
| | 1956–61 | 79.41 |
| तृतीय पंच वर्षीय योजना— | | |
| | 1961–66 | 100.14 |
| एन्युश्रल प्लान | 1966–69 | 68.50 |
| चौथे प्लान में | 1969–74 | 172.70 |

[श्री बलबीर सिंह]

पांचवें आउट-ले प्लान--

1974–78 288.88

स्पेशल सैंट्रल असिसटेंस फोर सब-प्लान्स विद ट्राइबल्स--

120.00

सभापति महोदय, जो राशि राज्यों को आई0 टी0 डी0 पी0 के तहत केन्द्र द्वारा सहायता के लिए दी जाती है, यदि आप आंकड़े उठा कर देखें तो 180 सब-प्लान्स बनाए गए और 1979 तक और 129 सब-प्लान बनें । क्या सब प्लान बनें और यदि बनें तो वे हरिजन और आदिवासियों के लिए क्या काम कर रहे हैं ? अभी 100 करोड़ रु0 हरिजनों के विकास के लिए दर्शाया है और कहा है कि कम्पोनेंट प्लान्ट बनेंगे, तो वह राशि सही रूप में खर्च हो रही है या नहीं इस पर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन और आदिवासियों के बीच में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल भी नहीं जाते हैं और सिर्फ रोज़ी-रोटी कमाने की तरफ लगे रहते हैं । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसे परिवारों के लिए हमारी सरकार क्या सहायता दे रही है और यदि सहायता नहीं दे रही है, तो केन्द्रीय सरकार को उन की सहायता के लिए सोचना चाहिए ।

इसके साथ ही साथ मेरा गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप छठी पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं । इसमें आपने 350 करोड़ रुपया हरिजनों को दिया है और उसको बढ़ा कर 750 करोड़ का रिक्मेंडेशन कर रहे हैं, इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि 1976 के बाद आदिवासियों की संख्या बढ़ी ही है, घटी नहीं है मैं हरिजनों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में आप जितना ज्यादा रुपया बढ़ाने जा रहे हैं, उस अनुपात में आदिवासियों के लिए भी आप 750 करोड़ रु0 का प्रावधान इस योजना में रखें । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आज हरिजनों के साथ अन-टचेबिलिटी का सवाल आया है और 11 राज्यों में इसको मद्दे नज़र रखते हुए इस बारे में सर्वेक्षण किया गया जिन में से चार राज्यों में न्यायालय स्थापित किए गए । इसलिए इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान जाना आवश्यक है ।

जहां तक आदिवासियों का सवाल है, इन आदिवासियों को जो 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ज़मीनें दी गई हैं, उन ज़मीनों का सही रूप से आवंटन नहीं हो पाया है । इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिए । जहां जहां पर जंगलों को काटा जा रहा है, वहां पर फ़ट प्लान्ट लगाए जाने चाहिए । यह सुनने में आया है कि बस्तर ज़िले में कोई कनाडा की कम्पनी है, जो पाइन के पौधे लगाने जा रही है, वहां पर जो पहले फ़ूट प्लान्ट के पौधे लगे हुए हैं, उनको काट कर । इसलिए केन्द्रीय सरकार को सीधे ही राज्य सरकार को यह निर्देश देने चाहिए कि इस तरह के जो जंगल हैं, जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, उनका वहां पर हनन नहीं किया जाना चाहिए । जो रिज़र्व फारेस्ट हैं, जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, उनको जो ज़मीनों का अलॉटमेंट है, उनको अभी तक रिवैन्यू के अन्तर्गत नहीं लाया गया है ।

जहां तक आदिवासियों की समस्या का सम्बन्ध है, कई स्थानों पर वर्षा अधिक होती है और कई स्थानों पर स्नो-फाल अधिकांशतया समय पर होता है, इसलिए इन लोगों को केवल एक-दो महीने काम करने का मौका मिलता है और सरकार द्वारा निर्धारित की गई राशि का समय पर सही प्रयोग न होने के कारण वह सारा पैसा लैप्स हो जाता है ।

इसके साथ ही साथ जो श्री गोमांगो साहब रिजोल्यूशन लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार में सिर्फ आदिवासियों और हरिजनों के लिए एक डिवीजन काम कर रहा है, जबकि ढेबर कमीशन की एक यह रिकमेंडेशन हैं कि डिपार्टमेंट होना चाहिए । इस कमीशन की रिकमेंडेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और अभी भी हरिजन और आदिवासियों के लिए सिर्फ एक डिवीजन काम कर रहा है । इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी केन्द्रीय शासन हरिजन और आदिवासियों के विकास के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खोले । इसी तरह से पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी हुई हैं—1971 में कायम हुई, 1973 में कायम हुई और अभी भी बनी हैं—कान्स्टीचूशनली उनको क्या सहायता दी गई है और क्या वे अपनी रिपोर्ट सदन में रखती है या नहीं । यदि रखी जाती हैं, तो शासन उन पर पूरा पूरा ध्यान देता है या नहीं । इस ओर भी देखना पड़ेगा ।

इस के साथ ही साथ जितनी हमारी आदिवासियों और हरिजनों की समस्याएं हैं, हरिजनों की जहां सब से बड़ी समस्या अनटचेबिलिटी की है, वहां आदिवासियों की समस्या सोसियो-एकोनामिक है और उन का जो एक्सप्लायटेशन हो रहा है, उस को सरकार को देखना पड़ेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस रेजोलूशन का समर्थन करता हूं ।

SHRI MANMOHAN TUDU (Mayurbhanj): Mr Deputy-Speaker, Sir, first of all, I would like to support the resolution moved by Shri Giridhar Gomango.

The percentage of the SC&ST people which is given here, according to the statement of the Government, is 22 per cent only. I think, this is not the actual position. Some of the SC & ST people are left behind. They should also be enlisted. Proper lists should be maintained. The SC & ST people who have been left behind should be enilsted. This is one suggestion that I want to make.

Another thing is, how we can serve the SC & ST people? We are quite ignorant of their language even. This is a very pertinent and important question. Unless we know their language, we cannot serve them properly.

Then, the allocation of money that is given is not at all adequate and whatever is given goes into the pockets of other people. I can give some figures here. As per article 275 of the Constitution, no allocation had been made for a long time. It was only in 1974 that about Rs. 20 crores had been allocated. The amount of money which we demand is Rs. 1200 crores. A recommendation has been made by the Planning Commission for allocation of not less than Rs. 1000 crores. I think, this is also inadequate. I demand that an allocation of Rs. 1200 crores and another of Rs. 1000 crores should be made. So, accordingly, an allocation of Rs. 2200 crores should be made. I would request the hon. Minister to see that this demand is fulfilled by the Government.

Another thing that I would like to bring to the notice of the Government is about the tribal development schemes and how they are being run. The officials who are appointed are quite ignorant of the tribal language and Harijan language in some parts of the country. These languages should be recognised by the Government. Whoever may be the person, whoever may be the service-holder or the IAS officer, he must know their language. Then only he should be appointed and then only we can get some result. Otherwise not.

After 33 years of Independence, the literacy percentage among the SC &

[Shri Manmohan Tudu]

ST people is very low and is very poor. What to speak about the IAS officers among them? In regards to Scheduled Castes, it is perhaps 3 per cent.

**15.33 hrs. ..**

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

Among Scheduled Tribes it is less. So, we should keep Tribal officers and Harijan Tribals in key posts. Supposing there is a scheduled district, there should be a Magistrate who should be from among the Scheduled Castes and Tribes people, who would be the administrator of the scheduled district. Then alone something can be done, something can be implemented.

In this way, I would suggest to Government that unless such a thing is done and a proper person is deputed or posted for the implementation of the programme. nothing will be done. We may allocate adequate funds but, still, nothing will happen. Therefore, I would request this Government again that this should be implemented and there should be officers specially from Harijans and Tribals to act as Welfare Officers.

Another point is that everybody is crying here—from the Opposition and from the Treasury Benches also—but they are all crocodile tears, I feel, because we are not giving priority to the work and the programme. This programme must be declared as emergency work in this country and we must allocate funds and implement it.

Another thing is about how we are exploiting the tribal people and the dissatisfaction arising out of that. In the District of Mayurbhanj in Similipal Hills, they depend on forest produce. But he Similipal forests in Orissa are taken over by the Corporation—the Similipal Development Corporation and, through the Corporation, big Sal trees and other trees are cut down and taken away. The tribals in the Similipal Range have been residing there since long, for over a thousand years. They are the Khadias, Mankidias etc. Now, after the formation of this Corporation, they are to be driven out from the Similipal range. Big personalities and non-officials are taking advantage of the situation and therefore the tribals are being exploited. So, by putting this scheme through we are indirectly—while saying that we are giving allocations for their development and giving an allocation for the formation of a Corporation—exploiting them; we are killing them. We have not yet settled them. The Mankidias and Khadias and other tribals who have been living there for over a thousand years and now to be driven out. I would therefore request the Government here that before such tribals in the Similipal range are driven out from there in the name of setting up a Forest Development Corporation, they should be settled first. The scheme is meant for the advancement of the tribals and Harijans but, at the same time, they are exploited. This is contradictory in terms, and such a thing must be checked.

There is also no educational programme. So, if we want to raise their economic development, how can it be done? You are not giving them facilities to learn; you are not giving them protection. There are so many atrocities going on everywhere and you are unable to check it.

My suggestion would be that the literacy percentage should be raised and from among Scheduled Caste and Scheduled Tribe people, many officials should be recruited in services like IAS and IPS and they should be put in key posts, so that they can serve the nation, serve their motherland. That is why I suggest that educational programme must be given the first priority before any economic programme is implemented.

My last request is this. I am again coming to the point that the vacuum created during 1952—74 has to be compensated and the money that is required should be given now. At the same time, the recommendation of the Planning Commission should also be taken up and Rs. 1,000 crores must be given to the Sub-Plan and the Component Plan.

**श्री अरविन्द नेताम** (कांकेर) : सभापति जी, श्री गिरिधर गोमांगो द्वारा यह जो रिजोल्यूशन सदन के सामने लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वे बहुत सही समय पर इसको सदन के सामने लाए हैं ।

सभापति महोदय, हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त करने की तैयारी में हैं और छटवीं पंचवर्षीय योजना के आगमन की तैयारी कर रहे हैं । इस पृष्ठभूमि में यह जो रिजोल्यूशन है वह हरिजन और आदिवासियों के लिए नीति बनाने के सम्बन्ध में विचार करने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ।

सभापति जी, यह सबप्लान 1974 में ट्राइबल एरिया में शुरू किया गया । उसके पहले तक बहुत से एक्सपेरीमेंट हुए, और इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत जो सब-प्लान लाया गया, मैं समझता हूं कि यह प्रोग्राम ट्रायबल एरिया में ही लाया गया । अभी सबसे बड़ी बात जो सब-प्लान के बारे में मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वैसे तो यह कार्यक्रम सब-प्लान के तहत बहुत अच्छा है, लेकिन 74 से लेकर अब तक, आज पांचवीं पंचवर्षीय योजना हम समाप्त करने जा रहे हैं, आप देखें कि आज तक हमारा क्या एचीवमेंट रहा, क्या हमको मिला ? यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसे भारत सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए ।

सभापति जी, मैं अपने बस्तर जिले के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां पर आपके सब-प्लान के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनका मैंने बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभी भी भारत सरकार को बहुत से कदम उठाने हैं । अगर आप चाहते हैं कि पैसे का ठीक ढंग से उपयोग हो तो आज भी बहुत से कदम उटाने होंगे तभी आप उस इलाके के बारे में न्याय कर सकेंगे, जस्टीफाई कर सकेंगे ।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि ये जो सब-प्लान हैं, उनमें यह देखना चाहिए कि कौन सा कार्यक्रम, कौन सी स्कीम अच्छी हो सकती है, कौन सी स्कीम लागू हो सकती है, वही वहां पर लागू होनी चाहिए। अभी बस्तर जिले में एक मजेदार बात सामने आई । वहां पर सन् 56 से अब तक ब्लाक की तरफ से सिंचाई के लिए कुओं का प्रावधान है, उसके लिए पैसा देते हैं, लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं और अब के पी० एच० ई० डिपार्टमेंट द्वारा ड्रिंकिग वाटर के लिए ट्यूबवैल, कुओं आदि खोदने का प्रावधान है ।

मैंने पूछा था तो पी०एच०ई०ने बताया कि पीने के पानी के लिए बस्तर में कुआं खोदना फीसिबल नहीं है । इतना होने पर भी सिंचाई के लिए अभी भी कुओं के लिए वहां पैसा दिया जा रहा है । इसका मतलब यह है कि या तो पी०एच०ई सही या फिर आपका इरिगेशन विभाग या ब्लाक डिवेलेपमैंट डिपार्टमेंट सही है । दोनों में से एक तो गलत है ।

साउथ बस्तर में सब प्लान के तहत जरसी कऊज दी गई हैं । एक साल में 42 गायें मर गई हैं । जो आदिवासी अपनी स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते हैं उनको आप ने जो सब प्लान के तहत गायें दी उनकी देखभाल वे कैसे कर सकते हैं । इस वास्ते मेरा कहना है कि जिला स्तर

श्री अरविन्द नेताम

पर कहीं न कहीं रिव्यू इन सब चीजों को करने की व्यवस्था होनी चाहिए । आप यहां से पैसा देते रहेंगे और वहां उसका दुरुपयोग होता रहेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है

आपने माइनर इरिगेशन के तहत फील्ड तक चैनल बनाने का कोई प्रावधान नहीं किया है । स्टेट गवर्नमेंट की पालिसी में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है । केवल टैंक बनाने का प्रावधान है । इससे हुआ यह है कि सब प्लान के तहत इरिगेशन के जितने भी काम हुए हैं उन में अभी तक पचास परसेंट से कम का ही युटिलाइजेशन हो पाया है । आप कहते हैं कि फील्ड तक चैनल ट्राइबल लोग ही बनाएं जो कि सम्भव नहीं है । इस वास्ते मेरा कहना है कि जिला स्तर पर हर साल इस तरह की जो स्कीमें हैं उनका रिव्यू होना चाहिए और वहां की परिस्थितियों के मुताबिक सब-प्लान में परिवर्तन होता रहना चाहिए ।

आपने सब-प्लान 1974 में शुरू किया । तब से अब तक आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सैट-अप को चेंज करने की तरफ ध्यान नहीं दिया । तब से आज तक अगर आप एसेसमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अचीवमेंट पचास परसेंट से भी कम है । इसका कारण यह है कि सब प्लान के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सैट-अप आपने विशेष रूप में तैयार नहीं किया है और वही सैट-अप रखा है जो पहले से चला आ रहा था । इसके रहते सब प्लान कभी भी सफलता-पूर्वक चल नहीं सकते हैं । इस पर आपको बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा । यह तो वही बात है, पुटिंग दी कार्ट बिफोर दी हार्स । आपने सब कुछ बना लिया, पैसे का इन्तजाम कर लिया, प्लानिंग कर ली, प्रोग्राम बना लिया, डिसकस कर लिया परन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव सैट-अप पर आज तक कोई विचार नहीं किया । आपने यहां से निर्देश दे दिए । उनका कोई खास असर नहीं हुआ । आई टी डी पी के अन्तर्गत आपने प्राजेक्ट अफसर रख दिया । उसका रोल क्या है ? मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसको आपने इंटैग्रेटिड डिवेलेपमेंट प्रोग्राम का नाम दिया है लेकिन इंटैग्रेशन नाम की इस में कोई चीज नहीं है । किसी भी डिपार्टमेंट को आप देख लें । इरिगेशन का एग्रिकलचर के साथ कोई इंटेग्रेशन नहीं, पी डब्ल्यू डी का इरिगेशन के साथ कोई इंटैग्रेशन नहीं । सब अलग अलग और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं । इसीलिए आपका सारा सब प्लान फेल होता जा रहा है । सारा दोष एडमिनिस्ट्रेटिव सैट-अप का है । आपने कलैक्टर पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है । उसको फुर्सत ही नहीं होती है । वह रेवेन्यू का काम करे, ला एण्ड आर्डर के काम को देखें, वी आई पी के जो दौरे होते हैं, उसको एटेंड करें या इस काम को देखें । उसको फुर्सत ही नहीं होती है । इसी तरह से एस डी ओ की हालत होती है । उसके पास भी उतना ही काम होना है । जितना कलैक्टर के पास । इस वास्ते इस काम के लिए एक अलग सैट अप होना चाहिए। यह काम रेग्युलर काम के अलावा है । इन दोनों को साथ साथ कलैक्टर भी नहीं कर सकता है, एस डी ओ भी नहीं कर सकता है । आपने ट्राइबल सब प्लान बहुत अच्छे ढंग से, मेहनत करके बनाया है लेकिन यह सारे का सारा फेल होने वाला है ।

माननीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, 1974 से इस बारे में प्रयास करती रही हैं । उन्होंने उस वक्त होम मिनिस्टर को ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में साफ तौर पर गाइडलाइन दिये थे, जिनका सम्बन्ध एक्साइज, फारेस्ट, इंडस्ट्री, माइन्ज और मार्केटिंग के साथ था । मैं गृह राज्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने 1974 में जो एक्साइज पालिसी तय की थी, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है । मैं तो कहूंगा कि 1974

में एक्साइज पालिसी के बारे में जो कुछ तय हुआ था, उससे ठीक उलट राज्य सरकारों ने किया है । मेरी अपनी स्टेट मध्य प्रदेश में जिन चार जिलों में शराब बनाने की छूट थी, उनमें से तीन जिलों में उसे विदड्रा कर लिया गया है । चौथे जिले—मेरे अपने जिले—में पिछली गवर्नमेंट ने पिछले साल नवम्बर में उसे विदड्रा किया था । लेकिन प्रधान मंत्री के इन्टरवेन्शन पर यह सिस्टम फिर से लागू किया गया है । एक्साइज पालिसी के सम्बन्ध में शायद राज्य सरकार का अपना स्वार्थ हो, लेकिन वह इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है ।

पिछले सत्र में कृषि मंत्री जी ने कहा था कि राष्ट्रीय वन नीति पर पुनर्विचार हो रहा है । 1952 के बाद पहली बार यह पुनर्विचार किया जा रहा है । मैं राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें गृह मंत्रालय का क्या रोल है, नैशनल पालिसी आन फारेस्टस में उसका क्या कान्ट्रीब्यूशन है । यह बड़ी अजीब बात है कि फारेस्ट पालिसी एग्रीकल्चर मंत्रालय बना रही है, परन्तु जितने फारेस्ट्स हैं, वे सब ट्राइबल एरिया में हैं और वहां पर रहने वाले लोगों के बारे में बहुत कम विचार हो रहा है । 1952 की जो फारेस्ट पालिसी है, उसमें बनों के बारे में बात की गई है, लेकिन वनों में रहने वाले ट्राइबल्ज की बात नहीं की गई है । मैं चाहता हूं कि जो नई नैशनल पालिसी बन रही है, उसमें ट्राइबल लाइफ पर भी विचार किया जाये और उसके अनुरूप पालिसी को निर्धारित किया जाये ।

फारेस्ट डिपार्टमेंट के जितने काम हैं, वे व्यावसायिक, कामर्शल, होते जा रहे हैं और उसके कारण वहां के रहने वाले ट्राइबल्ज की कोई परवाह नहीं करता है । बस्तर में मध्य प्रदेश फारेस्ट कार्पोरेशन है । वहां पर वर्ल्ड बैंक की मदद से पाइन योजना शुरू की गई है । एशिया का सबसे अच्छा साल फारेस्ट बस्तर में है । ट्राइबल इकानोमी बहुत कुछ फारेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेन्ड करती है । ये जितने भी फारेस्ट कार्पोरेशन हैं, उन की जूरिसडिशन पर कहीं न कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए । वे सब कुछ केवल कामर्शल दृष्टि से देखते हैं । इसका परिणाम यह है कि फारेस्टस का जितना एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, वह ट्राइबल लाइफ को देखकर नहीं, राज्य की इनकम को बढ़ाने के लिए हो रहा है । या तो फारेस्ट्स को कानकरेंट लिस्ट में रखा जाये, वर्ना फारेस्ट कार्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाना चाहिए । वर्ल्ड बैंक की मदद से जो पाइन प्राजैक्ट चल रही है, गवर्नमेंट आफ इंडिया का उस पर कहीं न कहीं चैक होना चाहिए । हमने कहा है कि इसको बन्द किया जाये और फिर से रिव्यू किया जाये ।

बिहार के राइट्स करटेल होते जा रहे हैं । आज बिहार में क्या हो रहा है ? बिहार में अनरेस्ट का मुख्य आधार है जंगल और आदिवासी । मैं चाहता हूं कि इस कनटेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए सारी फारेस्ट पालिसी पर गम्भीरता से विचार किया जाये ।

ट्राइबल लोगों की लाइफ को मद्देनजर रखते हुए, वहां पर नई-नई इन्डस्ट्रीज लगाने की अनुमति देनी चाहिए ।

श्री अरविन्दनेताम

बिहार में भी आदिवासी एरिया है और राउरकैला में भी आदिवासी लोग हैं, लेकिन इन लोगो के लिए कोई सेफ गार्ड नहीं हो रहा है। इस तरह से यदि सब प्लान में इनकी सहायता करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया तो जो बिहार की स्थिति हो रही है, वही सारे हिन्दुस्तान के ट्राइबल्स के लोगों की स्थिति हो जायेगी। इस लिए इस बारे में भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

सभापति जी, अब मैं कुछ बातें छठी पंचवर्षीय योजना के संबंध में कहना चाहता हूं, चुंकि पांचवां पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने जो कुछ भी किया, उसमें बहुत सी कमजोरियां रह गई थीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार पंचवर्षीय योजना और सब प्लान में क्या-क्या कमियां रह गई थीं और कहां-कहां हम पिछड़ गये हैं, उन सब को एसेस करके, छठी पंचवर्षीय योजना में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी बहुत से माननीय उदस्यों ने मांग की है कि छठी पंचवर्षीय योजना में इन लोगों की सहायता के लिए जो ड्राफ्ट बन रहा है, उसमें क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में मंत्री महोदय को रिप्लाई देना चाहि। हमारा कहना यह है कि सेंन्ट्रल एसिसटैन्स जो शैड्यूड कास्ट कम्पोनेंट प्लान और शैड्यूल्ड ट्राइब्स सब प्लान दोनों में कम से कम शैड्यूल्ड कास्ट से लिए दो हजार करोड रु और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक हजार करोड रुपया वर्किंग ग्रुप ने रिकमन्ड किया है। हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि जो पैसा वर्किंग ग्रुप ने रिकमन्ड किया है उसके बारे में प्लानिग कमीशन का क्या रुख है? मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कटोती प्लानिंग कमीशन की तरफ से नहीं होनी चाहिए। अगर कटौती की जायेगी तो सारी की सारी योजनायें धरी रह जायेंगी। उसी तरह से अगर हम फिक्थ प्लान का एलोकेशन करें तो मेरे हिसाब से साढ़े 5 हजार करोड़ रुपया आदिवासियों और हरिजनों के लिए इसमें होना चाहिए।

इस लिए मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि यदि प्लानिंग कमीशन इस पैसे में कोई कटौती करता है तो आपको इस सम्बन्ध में उनसे लड़ना होगा। जब आप जवाब दें तो आप इस सम्बन्ध में बतायें कि आप उनसे लड़ने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं रखेंगे।

इन शब्दों के साथ सभापित महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया और इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मुद्दे मैंने अपने भाषण में उठाये हैं, उन सब बातों का ध्यान रखकर जवाब देंगे और कुछ प्रकाश डालेंगे।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : सभापति जी, मैं इस सन्कल्प का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं, लेकिन यह काफी नहीं है, इतना मैं शुरू में ही कह दूं कि आदिवासियों और हरिजनों की स्थिति में

आमल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वह आमूल परिवर्तन इस संकल्प के पास हो जाने पर भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आज आदिवासियों में एक नई चेतना जागी है । अब तक जो उन को दबा कर रखा गया था, उस के खिलाफ वे संघठित हो कर लडने के लिए उठ खड़े हुए हैं । मैं अपने सूबे की बात जानता हूं और यह बात कमोबस सभी जगह है । हमारे मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । रांची के इलाके में, छोटा नागपुर और संथाल परगना में आदवासियों की संख्या काफी है लेकिन 33 वर्ष की आजादी में उन के जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अभी तक नहीं हो पाया है । यह सरकार खर्च जरूर करती है, नाकाफी हो या काफी हो, यह अलग सवाल है लेकिन उस राशि का उन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है और आज भी दक्षिण बिहार में गैर-आदिवासी लोग उन का निर्मम शोषण करते हैं । "गैर-आदिवासी" कहने का मेरा यह मतलब न समझा जाये कि वे मामूली लोग हैं । उन में सबसे बड़े हमारे टाटा साहब हैं। इस तरह के लोग आदिवासियों का शोषण करते हैं और उन की तरक्की को देखना पसन्द नहीं करते । जमीन पर जो अधिकार है , उस से उन्हें वंचित करते हैं । अगर वे जंगलों में अपने जलावन के लिए लकड़ी लाते हैं, तो उस पर बंदिश लगाई जाती है । उन के लिए जो आरक्षण है उस में उन्हें हिस्सा नहीं दिया जाता है और कोई न कोई बहाना बना कर उन को महरूम रखा जाता है । कोई कहता है कि उन के लिए यह आरक्षण 2 प्रतिशत पूरा हुआ है और कोई कहता है कि 4 प्रतिशत । जो उन का अधिकार है, वह भी उनको नहीं दिया जाता है । उन के लिए जो सरकार और राज्य सरकारें पैसा निर्धारित करती हैं, वह भी खर्च नहीं होता है । अभी तीन चार दिन पहले अखबारों में राची के बारे में एक लेख निकला था और उसमें आंकड़े देकर बताने की कोशिश की गई है कि सरकार से जो उन को पैसा आवंटित हुआ है, वह खर्च नहीं किया गया है । आदिवासियों के विकास के लिए बोर्ड बनाया जाता है लेकिन उस बोर्ड को अधिकार आप नहीं देते हैं । हमारे सामने जो मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, वे उस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आदिवासियों के लिए आंसू तो बहुत बहाये जाते हैं, उसे घडियालू आंसू कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन उन के लिए काम उतना नहीं किया जाता है । इसीलिए उन में असंतोष है और उस असंतोष को जो फूटवादी तत्व हैं, जो फूटपरस्त शक्तियां हैं, वे इस्तेमाल करती हैं और गलत नारे उन के लिए लगाये जाते हैं और उन को उकसाया जाता है । नारा दिया जा रहा है कि तीन सूबों, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों को मिला कर एक राज्य बनाया जाये । एक नारा तो यह है और दूसरा नारा यह है कि छोटा नागपुर और संथाल परगना के 9 जिलों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए । क्या इस तरह के राज्य बनाने से, जैसा अभी कुछ लोग कर रहे हैं, सचमुच में आदिवासियों की समस्याओं का समाधान होगा ? नहीं होगा । जब उन के दिमाग में यह बात बैठ गई है इतने दिनों के आपके आचरण से, कि सरकार हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहती और जो योजनायें उन के लिए बनती हैं वे भी अमल में नहीं आतीं, तो वे यह सोचने लगते हैं कि हमारे लिए अलग से झारखंड राज्य बनना चाहिए । इस तरह का झारखंड का नारा चल रहा है। हमारा दल और हम बिहार में भी काम

[श्री रामावतार शास्त्री]

करते हैं और वहां हमारा दल काफी शक्तिशाली है । जो दो तरह के नारे लोग दे रहे हैं उनके बारे में हमने उनसे कहा है कि इस से आदिवासियों का शोषण समाप्त नहीं हो सकता है, इस से वे प्रगति मार्ग पर बढ़ने में समर्थ नहीं हो सकेंगे । लेकिन हम यह जरूर कहते हैं कि झारखंड राज्य बनाना चाहिए । हम इसका समर्थन करते हैं । हम ने उन से कहा है कि संथाल परगना और रांची के जो आदिवासी मेजोरिटी एरियाज हैं, बहुमत वाले इलाके हैं उन तमाम को मिलाकर एक राज्य बनना चाहिए जिसमें कि आदिवासियों का बहुमत हो । जब तक किसी सरकार में उनका बहुमत नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकेगी । हम ने यही कहा है कि इन जिलों के इलाकों का और उनके अगल-बगल में उनके बहुमत वाले जो इलाके हों उनको मिलाकर एक राज्य उनका बना दीजिए । उस राज्य में यह बुनियादी बात होनी चाहिए कि इनका बहुमत हो । लेकिन अगर आप इन सभी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों या अन्य जिलों का झारखंड राज्य बनाना चाहते हैं तो उससे उनका शोषण समाप्त नहीं होगा । जिन अन्य जिलों को मिलाकर के आप उनका राज्य बनाना चाहते हैं उस से भी उनका शोषण समाप्त नहीं होगा और उसमें वे अपने भाग्य का फैसला नहीं कर सकेंगे । इस लिए इस तरह का राज्य बनाया जाए जिसमें कि उनका बहुमत हो । उनके बहुमत वाला राज्य अगर नहीं बनेगा तो काम नहीं चलेगा । जब तक आप उनके बहुमत वाले हिस्सों को लेकर राज्य नहीं बनाइयेगा तब तक उनका असंतोष दूर नहीं होगा और उनमें फूट पैदा करने वाले लोग उनका इस्तेमाल कर के उन को गलत रास्ते पर ले जाएंगे । (व्यवधान) यह आपकी बुद्धि के परे है । इस को आप समझने की कोशिश कीजिए । मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रस्ताव को मानने से, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव को मानने से हमारे राज्य की एकता बनी रहेगी और देश की एकता भी बनी रहेगी साथ ही साथ इस से आदिवासियों का भी उत्थान होगा । वे महसूस करेंगे कि जब बाहर के लोग, छोटा नागपुर के उस क्षेत्र में जा करके बके उनका शोषण नहीं कर सकग । फिर ये लोग टाटा की नाक में भी नकेल पहना सकेंगे और पूंजीपतियों को भी शांत कर सकेंगे । इस लिए मैं कहता हूं कि आप को इस तरह की बातों पर विचार करना चाहिए । आप यह प्रस्ताव जरूर पास कीजिए । लेकिन यह पर्याप्त नहीं है । उनके जीवन में आमूल परिवर्तन लाने के लिए आपको इस तरह का राज्य बनाना चाहिए ।

सभापति जी, मैं कहना चाहता हू कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका आन्दोलन तेज होगा । मकवाना साहब आप समझ लीजिएगा, अभी यह बात आपकी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आपके यहां यह समस्या नहीं है । हमारे यहां तो यह समस्या बहुत ही भयंकर रूप में है ।

आप हरिजनों के लिए भी कानून बनायें । आदिवासियों पर भी जुल्म हो रहे हैं, हरिजनों पर भी जुल्म हो रहे हैं । आपने सुना होगा कि सिंहभूम जिले में गुआ नामक जगह पर जहां कि लोहे की बहुत खदानें हैं, वहां पर भी जंगल के सवाल पर उन्होंने आन्दोलन शुरू किया । उन पर गोली चली और 8 सितम्बर को सरकार के अनुसार 11 आदमी मारे गये, गैर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वहां 15–20 आदमी मारे गये । आदिवासियों के साथ यह आपका व्यवहार है । अगर व आन्दोलन करते हैं तो आप उनके आन्दोलन को समझिये । उसे टालने से काम नहीं चल सकता है ।

पूरे देश में हरिजनों की हालत क्या है । सब से बुरी हालत हमारे सूबे में है । नालन्दा जिले में जहां से हमारे संसद् सदस्य श्री विजय कुमार जी यादव आते हैं, उसके महतोचक गांव, थाना चन्डी में चार हरिजन कत्ल कर दिये गये । हमारे यादव जी वहीं गये हुए हैं । उनकी हत्या कर दी गई और उन पर इल्जाम लगाया गया कि ये डकत हैं । किसी को डकैत कह दीजिए, किसी की हत्या कर दीजिए, किसी की आंखों में मिर्चें डाल दीजिए, किसी की आंखों में एसिड डाल कर अंधा कर दीजिए और यह कह दीजिए की यह डकैत थे, यह कोई मानवता का रास्ता नहीं है । अभी हाल ही की नालंदा जिले की बात है और पिपरा का मामला अभी कोर्ट में है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बतलाना चाहता । बिहार को एक दर्जन से ज्यादा घटनाओं के बारे में आप जानते हैं, आप कहते हैं, कि कार्यवाही करने के लिए बिहार सरकार को कहा है, बिहार सरकार क्या कार्यवाही करती है, यह आपके सामने है । उसका रवैया, उसके कारनामें आपके सामने हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप ही लोग तो करवाते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : हम करवाते हैं तो हम को पकड़िए, गोली क्यों मारते हैं ? गोली मारने का अधिकार आपको नहीं है । हम तो हमेशा सही काम करते हैं इस लिए गलत काम का सवाल ही नही है, लेकिन आप सोचते हैं कि शासन सूत्र आप हैं ।

सभापति महोदय, मेरा कहना है कि यदि आप आदिवासियों के जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो उनको आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, उनके बीच में जमीन का बटवारा कीजिए । जो बड़े-बड़े लोग अभी भी जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं, आप अपने बीस सूत्री कार्यक्रम द्वारा उस जमीन को लेकर आदिवासियों में बांट दीजिए । जो भी कानून भूमि सुधार के बारे में बनें, उन्हे अमल में लाया जाये, लेकिन आप क्या अमल में लायेंग ? पश्चिम बंगाल के भूमि सुधार कानून को आप राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोके हुए हैं । कैसे आप जमीन का बटवारा करना चाहते हैं ? आपका मन नहीं है या आप आधे मन से करना चाहते हैं जो सरकार कुछ करना चाहती है उसके द्वारा भेजे गये कानून को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक दिया गया है । आप जमीन का बटवारा कीजिए, उनको रोजगार दीजिए, जितना आरक्षण उनके लिए किया गया है, उसको अमल में लाइये । आप सोचते हैं कि हम हरिजन और आदिवासियों को बहकाकर ले जाते हैं, वे क्यों बहकते हैं ? आप ऐसी स्थिति पैदा कीजिए कि वे बहक न सकें ।

सभापति महोदय, मैं अपने संशोधन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, प्रस्ताव में जो मैंने संशोधन दिया है और सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उन लोगों के विरुद्ध जो अपने निहित स्वार्थों के लिए आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचार करनें के लिए दोषी पाए जायें, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें । यह इस प्रस्ताव में नहीं है । मैं इसको आपरेटिव पार्ट मानता हूं । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो लोग हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं, उनके अधिकारों से उनको वंचित रखते हैं, वे आपकी बात नहीं मानेंगे, लेक्चर आपके और हमारे सुनते रहेंगे और करेंगे अपने मन की । कत्ले आम हरिजन-आदिवासियों के होते रहेंगे । तो मेरा कहना है

[श्री रामावतार शास्त्री]

कि इस आपरेटिव पार्ट को लीजिए ताकि जो ऐसे लोग हैं, जो वस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये ताकि इसका असर दूसरे लोगों पर पड़े। और कोई जमींदार या भूमिपति या दूसरे लोग उनको तंग न कर सकें और सही मानों में हरिजनों और आदिवासियों का कल्याण हो सके, उनको हम अपने बराबर ला सकें। यह बात सही है कि सनातन काल तक रिजर्वेशन के सिद्धान्त को लागू नहीं रखा जा सकता है। जब तक जरूरत होगी जरूर रखेंगे, जब तक हम औरों के मुकाबले में उनको अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर देते हैं तब तक रखेंगे और दूसरे लोगों के मुकाबले पर उनको खड़ा करने के वास्ते यह जरूरी है कि उनको जो सताने वाले हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाई हो और उनको सख्त से सख्त दंड मिले।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री बागुन सुम्बरूई** (सिंहभूम) : श्री गोमांगो ने जो संकल्प हरिजनों और आदिवासियों के सम्बन्ध में रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

आज से कुछ दिन पहले मैं उधर उन बेंचों पर बैठता था और अब इधर आ गया हूं। हो सकता है कि मैं राजनीतिक अनुशासन के लिहाज से गलती कर रहा होऊं जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसको कहने की मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिये।

मेरा अनुरोध है कि जिन वास्तविक बिन्दुओं को, वास्तविक समस्याओं को हम यहां रखें उन पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये और उन पर अमल होना चाहिये उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिये। आज का यही मुख्य विषय है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो इस प्रकार की बहस का कोई लाभ नहीं है।

हम जनता द्वारा चुन कर यहां आते हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। उन पर जो जुल्म होते हैं, जोर जबर्दस्ती होती है, उन घटनाओं को अगर हम आपके सामने रखते हैं तो उस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये और आपको देखना चाहिये कि इस तरह की चीज आगे से न हो। मैं जानता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन और सरकार का यह कर्त्तव्य है, उसका यह धर्म है कि वह उन पर गम्भीरता से विचार करे और जो रचनात्मक सुझाव दिए जाते हैं उनको अमल में लाए।

हम लोगों का जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और यहां तक कि केन्द्र के स्तर पर भी कोई मां बाप नहीं है, कोई हमारा गार्जियन नहीं है, ऐसा हम महसूस करते हैं। यह आज की सरकार की बात नहीं है। विगत वर्षों में जो भी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार भी बनी, चाहे मोरारजी देसाई की बनी हो और चाहे चरण सिंह जी की बनी हो, हम लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ है उससे यही साबित होता है कि हमारा कोई माई बाप नहीं है और बिना गार्जियन के हम लोग अत्याचारों के, जुल्मों के, जोर जबर्दस्ती के शिकार हो रहे हैं और ये अभी भी जारी हैं। किसी भी सरकार को इसके लिए दोष देना या मंत्री विशेष या अधिकारी विशेष को दोष देना शायद उचित नहीं होगा। समाज, जाति और संस्कार जो हमारे हैं उन्हीं का यह दोष है। पाप के घड़े पर चाहे हम पार्लियामेंट के मैम्बर हों, एम एल ए हों या मंत्री हों या बड़े पदों पर बैठे हों, हम लोग बैठे हैं। हकूमत के आदेशों का पालन नहीं होता है। हम किस को कहें जा कर ?

चो० चरण सिंह की सरकार के साथ बात की तो हमें अजीब जबाब मिला, मोरारजी देसाई साहब की सरकार से बात की इन जुल्मों के बारे में और इन अत्याचारों के बारे में तो वहां कुछ नहीं हुआ। हम लोग अपनी इन समस्याओं को रखें तो कहां रखें ? अभी हम लोग प्रधान मंत्री जी से उनके निवास पर 13 अगस्त को मिले थे। उस मीटिंग में ट्राइबल एरियाज के मामलों को ले कर, हरिजनों के मामलों को ले कर हम लोगों ने अपनी बात उनके सामने रखी थी लेकिन आज तक तीन चार महीने गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है, उसका कोई असर नहीं हुआ है। जिले के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर, केन्द्र के स्तर पर अगर इन समस्याओं पर गम्भीरता से विचार किया जाए और इनके बारे में निदान सोचा जाए, इन घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जायें तो मैं समझता हूं कि इनका कुछ हल निकल सकता है। माई बाप मैं इसलिए कहता हूं कि हमारी जो समस्यायें हैं ये गृह विभाग से सम्बन्ध रखती हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। हम लोगों के कल्याण एवं विकास के जितने कार्यक्रम हैं, जितनी जुल्म और अत्याचार की घटनायें हैं उनका सम्बन्ध गृह मंत्रालय से ही आता है और उसकी ही जिम्मेदारी आती है और वही हम लोगों की देखभाल करता है। इतनी सरकारें बनीं और 30 से 40 तक आदिवासी सदस्य पार्लियामेंट में आये, अगर हरिजन और आदिवासियों को कोई बड़ा पद मंत्रिपरिषद् में मंत्री का नहीं दे सके, तो उन्हें कोई मझला और छोटा पद ही दे सकते थे, मगर किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। अगर हमारे आदिवासियों को गृह मंत्रालय दिया जाता और उनसे गलती होती, तो हम पर आरोप लगाये जा सकते थे कि आपको जिम्मेदारी दी गई है, मगर आप हरिजनों और आदिवासियों का कल्याण नहीं कर सके। लेकिन आजादी के बाद से ही गृह मन्त्रालय अन्य जातियों के व्यक्तियों के पास ही रहा। अगर हमारी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हम किस को दोष दें ? आप हमें दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने हमें जिम्मेवारी देकर लायक नहीं बनाया। यह सत्ता और सरकार का ही दोष है कि वह हमें योग्य नहीं बना सकी अथवा योग्य होते हुए भी वह हमें हमारा हिस्सा नहीं दे सकी।

राज्य सरकारों, सरकारी अधिकारियों और आई० ए० एस० अफसरों आदि को धमकाने से कुछ नहीं होगा। अगर केन्द्र या राज्य सरकार आदिवासियों को नालायक समझती है तो वह हमें राजनीतिक ट्रेनिंग दे ताकि हम ऊंचे पदों पर आ सकें। ज्ञानी जेल सिंह आदिवासी नहीं हैं, हरिजन भी नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि भकवाना साहब भी हरिजन या आदिवासी हैं या नहीं।

**एक माननीय सदस्य :** वे हरिजन हैं।

**श्री बागुन सुम्बरूई :** हमने उन्हें कई चिट्ठियां लिखीं, जिनके उत्तर हमारे पास हैं। अगर एक हरिजन मंत्री की ओर से इस प्रकार के उत्तर आयें तो मैं क्या कह सकता हूं, उन सब में यही लिखा रहता है कि अमुक तारीख का अमुक विषय पर आपका पत्र आया है, मैं उसको देख रहा हूं। आगे की कार्यवाही से कोई मतलब नहीं है। यह बहुत दुःख की बात है, कम से कम उत्तर में यह तो बताना चाहिये कि किसी काम को कितने दिनों में करवायेंगे और इस बारे में हमारे साथ बातचीत करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the time for the discussion of this Resolution should be extended?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: By how much should be extend it? Half an hour or more?

SOME HON. MEMBERS: One hour.

**MR. CHAIRMAN:** All right. It is extended by one hour.

**श्री बासुन सुब्बाई** : हमने पश्चिम बंगाल में वामपन्थी सरकार को भी देखा है। वहां 17 आदिवासी एम० एल० ए० हैं, मगर सिर्फ एक ही राज्य मंत्री है। यहां तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एक आदिवासी मेम्बर नहीं रखा जा सका। एक दूसरी पार्टी के सिर्फ 3 मैम्बर हैं, मगर उसे मंत्री बना दिया गया। अगर हम लोग लायक होते हुए भी नालायक बना दिये गये तो कौन अफसर हमारी बात सुनने के लिये तैयार होगा ?

बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगना एरिया के 7 जिलों में सब से ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। उस एरिया के विकास के लिए 1970–71 में खूब आन्दोलन कर के हम ने एक छोटा नागपुर संथाल परगना विकास प्राधिकार गठित किया। 1972 में उस का केन्द्र के गृह मंत्री द्वारा उद्घाटन हुआ, लेकिन वह अथारिटी विद्आउट एथारिटी थी। कम्युनिकेशन विभाग के वर्तमान राज्य मंत्री, श्री कार्तिक उरांव उसके डिप्टी चेयरमैन बने। वह 10 साल तक उसके डिम्टी चेयरमैन रहे, 10 साल में एक मोटर गाड़ी के टायर को घिसा दिया, मगर विकास के काम कुछ नहीं हैं। 10 साल के बाद उन्होंने 10 पेज लिखकर रिजाइन कर दिया कि यह डैवलपमैंट अथौरिटी एक जाल है, धोखा है। जनता पार्टी का जब शासन आया तो जनता सरकार ने तीन टुकडों में बांट दिया। मीटिंग नाम की कोई चीज नहीं, काम नाम को कोई चीज नहीं और तीन डिप्टी चेयरमैन बना दिए। अभी कांग्रेस की सरकार 6 महीने हो जाने के बावजूद इस प्राधिकार के पदाधिकारियों की मीटिंग नहीं हुई। वहां पर स्टाफ के लोग हर साल लाखों रुपए तन्ख्वाह पा रहे है। इस प्रकार हमें लोगों के साथ आंख मिचौनी करने से काम नहीं होगा। हम लोगों को विकास की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हजारी बाग, संथाल परगना, सिंहभूम रांची इत्यादि ये सब ट्रायबल जिले है। रांची के लिए ठीक है कि केन्द्र में एक राज्य मंत्री भी बन गए हैं और दो बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने लेकिन उधर देखिए संथाल परगना और सिंहभूम जबकि बहुत बड़े जिले हैं वहां पर मंत्रि-परिषद् में न तो मंत्री बनाये गये न ही आज तक कांग्रेस सरकार रेलवे लाइन और कम्यूनिकेशन आदि की आज तक जिला मुख्यालय में कोई सुविधा ही पहुंचा सकी। हम विरोधी दल में थे, हम चिल्लाते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हमने सोचा हम जीत कर तो आते हैं और चिल्लाते भी रहे हैं, तब भी हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। 30-32 साल तक हम विरोधी दल में एम० एल० ए० रहे और चिल्लाते रहे, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो सका। संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर दुमका में आज तक रेलवे लाइन नहीं जा सकी। हजारी बाग जिला मुख्यालय में आज तक रेलवे लाइन नहीं जा सकी। ट्राइबल्स की आप क्या बात करते हैं। सब-प्लान और प्लान में रुपए की क्या बात करते हैं।

जब हम कम्पलेंट करते हैं तो आफिसर कहतें हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम बस में नहीं चल सकते, पक्की सड़क नहीं है, रेल नहीं है हम नहीं चल सकेंगे। हम लोगों की कंम्लेंट 6-6 साल तक पड़ी रहती है। एम० एस० ए० या सांसद एक साल कंम्पलेंट करता है, दूसरे साल आश्वासन मिल जाता है लेकिन कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता।

जहां तक हरिजन-आदिवासियों की सरकारी नौकरी का सवाल है संविधान के द्वारा हम लोगों को आरक्षण दिया गया

है । इस विषय पर बारबार हम कहते हैं कि आरक्षण पर इप्लीमेंटशन हो, 13 अगस्त को जब प्राइम मिनिस्टर के यहां मीटिंग हुई थी, मैंने कहा था कि बिहार सरकार के फायनेंस विभाग और केन्द्र सरकार के रेल विभाग के अधिकारियों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि यह आरक्षण गलत है । मैंने यह भी कहा था कि या तो संविधान के अनुसार हम लोगों के आरक्षण की रक्षा कीजिए नहीं तो आरक्षण उठा दिजिए हम साधारण इन्सान के रूप में भी रहने को तैयार है । वहां पर और लोगों का तो प्रमोशन हो रहा है लेकिन आदिवासियों के प्रमोशंस रुके हुए हैं । अभी विरोधी दल के सदस्य पासवान जी ने इस बात की और ध्यान आकर्षित किया था कि बड़े-बड़े साइन बोर्डों में बोट क्लब पर लिखा हुआ है कि आदिवासी और हरिजनों का आरक्षण समाप्त हो और दूसरी तरफ हम लोकसभा और राज्य सभा के अंदर इनके आरक्षण के लिए बहस करते हैं । न आप उनको समझा पा रहे हैं और न ही आप उनको वहां से उठा पा रहे हैं । न उसको कानूनी बोल रहे हैं और न ही गैर-कानूनी बोल पा रहे हैं । क्या यही तमाशा है । हम समझते हैं कि गैर-आदिवासी लोग यहां पर तो हम लोगों के पक्ष में बोलतें हैं, लेकिन यही लोग जब बाहर जाते हैं तो हम्हीं पर डंडे चलवाते है । हमारे यहां टाटा कम्पनी की बड़ी बड़ी खदाने हैं, कारखाने हैं लेकिन उन की स्थिति क्या है । अभी हमारे श्रम मंत्री जी यहां बैठे हुए थे और जब मैंने बोलना शुरू किया, तो वे चले गये । खैर हमारे गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुए है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जितनी यूनियनें हैं, वे सब बड़े-बड़े कारखानें वालों की ही यूनियनें हैं, उन यूनियनों की सत्ता उन के हाथ में चली जाती है क्योंकि प्रेसीडेंट उनका है सैक्टरी उनका है और यहां तक कि मेम्बर उन के हैं । हम लोगों का, आदिवासियों और हरिजनों का एक भी मेम्बर एक्जी-क्यूटिव कमेटी में नहीं रखे जाते हैं और यूनियन के माध्यम से जितनी बहाली होगी, यूनियन जिन को चाहेगी, बहाली कर लेगी और अगर सरकार से कहा जाता है, तो कहती कि है यह तो प्राइवेट कम्पनी है, सरकारी कम्पनी नहीं है, हम इस में क्या कर सकते हैं । अगर मैं यहां पर इस तरह के नमूने देने लगूं तो यहीं कहा जाएगा कि ये तो विरोधी दल का अभी भी चरित्र रखते हैं । इसलिए मैं इस मामले में शांत होकर बोल रहा हूं । एक-एक डिपार्टमेंट को आप लें, तो यह पाएंगे कि हरिजनों और आदिवासियों का जो रिजर्वेशन का कोटा है, जो प्रोमोशन उनको मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जितना परसेन्टेज उन को मिलना चाहिए, वह आज तक नहीं मिला है । पुराने समय में नहीं मिला तो नहीं मिला वह एक अलग चीज है और अब उसके लिए पछताने से कोई फायदा नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान में तो इसका इप्लीमेंटशन होना चाहिए । एपाइन्मेंट और प्रोमोशन के रोस्टर के मुताबिक सरकारी हुक्म के अनुसार जो अफसर काम नहीं करेगा, तो उस में यह बात लिखी हुई है कि उस के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत वेग भाषा है । साफ-साफ शब्दों में यह लिखा जाना चाहिए कि कोई अफसर अगर इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, एपाइन्टमेंट और प्रोमोशन के मामले में अगर सरकारी आदेशों का नहीं मानेगा तो उसे पांच साल की जेल होगी । एपाइमेंट और प्रोमोशन के रोस्टर के मुताबिक सरकारी जो हुकम है उनके मुताबिक अगर कोई अफसर काम नहीं करता है तो बोलो यह लिख

[श्री बागुन सुम्बुरई]

देने से कि उचित कार्यवाही की जाएगी, काम नहीं चलेगा । जैसे मैंने पहले कहा उस को आप पांच साल के लिए जेल भेंजे तो मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार का उदाहरण दूसरों के लिए होगा । उस को आप डिसमिस करें क्योंकि सस्पेंशन कोई सजा नहीं है । उसको अगर आप डिसमिस कर देते हैं या जेल भेज देते हैं, तो उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है अन्यथा नहीं ।

पीने के पानी के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं, जनता पार्टी की सरकार के जमाने में भी मैं इस बारे में कह चुका हूं । हमारे यहां किरिगुरु और मेगाघातू की आइरन ओर की एक बहुत बड़ी प्रोजैक्ट है जो सेल के अन्दर है, एन० एम० डी० सी० की बहुत बड़ी प्रोजैक्ट है । साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से वहां पर एक डैम बनना है । आइरन ओर को उस में वाश करके पानी की शुद्ध करने की बात थी लेकिन वहां पर लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है । वहां पर श्री जी० डी० सिंह चीफ इंजीनियर थे । उन्होंने साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से उस डैम को बहुत गलत ढंग से बनाया है । जनता पार्टी की सरकार के समय में भी मैं इसके बारे में बोला था उस वक्त श्री बीजू पटनायक इस्पात एवं खान मंत्री थे । उन्होंने कहा कि ईमानदार अफसर कहां मिलेंगे । साढ़े तीन करोड़ रुपये का डैम गलग ढंग से बनाया है । उस से जो गन्दा विषैला पानी निकलता है, कम से कम 25 मील तक वह पानी जाता है और वहां के गांवों की आदिवासी जनता को वह पानी पीने के लिए मिलता है क्योंकि शुद्ध पानी नहीं है, विषैला पानी हो गया है । उससे आदमी और जानवर मरते हैं । यह आदिवासियों पर अत्याचार का नंगा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है । उनको न पीने का पानी दे सकते हैं, न नौकरी दे सकते हैं । न इन लोगों को इंडस्ट्री मिलती है, न किसी प्रकार का कारोबार लाइसेन्स और परमिट ही इन हरिजनों और आदिवासियों को मिलता है । अगर आप इन लोगों की उन्नति और विकास चाहते है तो जिस प्रकार अन्य लोगों को लाइसेन्स और परमिट दिये जाते हैं उसी प्रकार से लाइसेंन्स और परमिट इन लोगों को दिये जाए ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनिवर्सिटी एवं एजूकेशन सर्विस कमीशन जैसी संस्थाएं हर स्टेट्स में भी होंगी, तो मैं समझता हूं कि आदिवासियों की भी नियुक्ति हो तो उनका उद्धार हो सकता है । हम लोगों के लिखने, पढ़ने से कोई फायदा नहीं दिखता है चा हम एम० ए० कर लें, डबल एम० ए० कर लें, ल कर लें । हम वैसे के वैसे ही नालायक आदमी बन कर यहां पर बैठे हुए हैं । इसलिए मेरी आप से अपील है, प्रार्थना है कि जो भी स्कीम आप बनाएं, वह इम्प्लीमेंट हों और टाइम-बाउन्ड प्रोग्राम हो ।

मैं बीस-सूत्री कार्यक्रम की यहां पर याद दिलाना चाहता हूं । पहले ट्राइबल एरियाज में इस को लागू किया गया था लेकिन बीच मे यह बीस-सूत्री कार्यक्रम बन्द हो गया था और अब फिर चालू हो गया है । इसी माह की 5 और 6 तारीख को एक मीटिंग हुई थी । आदिवासियों से जो जमीन गैर-आदिवासियों ने हड़प ली थी, गैर-कानूनी ढंग से ले ली थी, उस को वापस दिलाने की व्यवस्था उसमें थी । मैं बताना चाहता हूं कि करोड़पति-लखपति लोग और उसमें कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हैं चाहे वे एम० एल० ए० हों या एम० पी०, उन्होंने आदिवासियों की जमीन हड़प ली थी और वह जमीन अभी उनको वापिस नहीं दिला सके हैं । फिर हमारे राज्य या जिले में बीस-सूत्री कार्यक्रम को लागू कराएंगे तो हम तो बलि का बकरा बन जायेंगे । राज्य सभा के माननीय सदस्य** ने आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया है ।

---

**Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: Kindly don't take any name. That name will not go on record.

**श्री बागुन सुम्ब्रुइ** : हमने लोगों से कहा, सरकार से कहा कि अगर वहां जमीन हमको वापिस की जा सकी तो हम कह सकेंगें कि हमारे यहां बीस सूत्री कार्यक्रम सफल हुआ अन्यथा यह मखौल है । सभापति जी हम तो बोलेंगे कि हमें जमीन वापिस होनी चाहिए या उचित मुआवजा मिलना चाहिये । अन्यथा हमें बीस सूत्री कार्यक्रम की कमेटी से हटवा दीजिये, अगर हमें वहां रखना है तो उनको निर्देश दीजिए कि आदिवासियों की जमीन वापिस हो । नहीं तो क्या होगा कि हम बोलते रहेंगे और आदिवासियों को बीस सूत्री कार्यक्रम से कोई फायदा नहीं होगा, सरकार बदनाम होगी । फिर हमारे एम पी० बने रहने का क्या फायदा है अगर बीस सूत्री कार्यक्रम इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो । इस में आपका भी दोष है और हमारा भी दोष है क्योंकि हम इलेक्शन के समय उनसे मदद लेते हैं । मगर गैर-कानूनी ढ़ंग से उन्होंने जो जमीने ले रखी हैं मेहरबानी कर के वह तो वापस कराइये ।

*SHRI R. K. MHALGI (Thane): Sir, I happen to have been elected from an urban constituency and some of the hon. Members may wonder why I am speaking on the tribals. The majority of the population in my constituency —district, comprises of Scheduled Castes and Tribes. That being so, I have occasion to come into contact with them and have studided their problems.

The welfare schemes meant for the Scheduled Tribes have not been properly implemented and, therefore, they have not benefitted from them as they should have. That is why I evtend my full support to the resolution moved by Shri Girdhar Gomango.

The Tribal people have become conscious of their lot and know the injustice being meted out to them. They know who are the culprits who stand in the way of justice being done to them. This awareness is heartening as it will help their agitation to get their due.

A Working Group on Tribal Development had been constituted under the Medium Term Plan (1978—83). According to its report, the Government was supposed to implement 180 sub-plans. But only 129 such sub-plans were prepared. Maharashtra, fortunately, proposed 15 such plans and all of them were finalised. That was, however, not the case with all the States. In Assam, for example, only one out of the 19 sub-plans could be prepared. This shows that the Government did not treat these sub-plans with the seriousness which they deserved. A casual attitude was adopted and the preparation of the plans suffered.

I am sorry to say that our tribals have been neglected both by the Government and our society. Our attitude towards them is one of pity and condescenion. We appear to feel that we are obliging them by extending a little help. This attitude has to be given up since it is this attitude that is at the root of injustice being done to the Tribals. It is our bounden duty to improve their lot. Unless we realise that, we will not be able to achieve much in this direction. We have to look after the welfare of the weaker sections of society. More attention should be paid to them just as a mother pays more attention to a handicapped child, because he needs more help.

The Government should act as the mother of a crippled child towards the Scheduled Tribes. All plans for their welfare should be scrupulously implemented. The fact that only 129 out of 180 tribal Welfare Plans were taken up for implementation shows the apathy of the Government towards the lot of the Tribal people. Priority should be given to these plans in the Sixth Five Year Plan. The Railway Budget for the new year should make special provision for rail communication in the tribal areas. We must have a fully developed com-

*The original speech was delivered in Marathi.

[Shri R. K. Mhalgi]

munication and transport system in those areas in order to be able to do some good to them.

But even the 180 sub-plans to be formulated by the Government manage to cover a mere 65 per cent of the tribal population of the country. They concentrate only on contiguous areas and not the far-flung spreaded tribal population in the country.

The recommendations of the Working Group on this point should be implemented and efforts should be made to cover the 35 per cent of the tribal population not so far covered by these plans. More weightage should be given to the population of tribals in these areas.

Tribal Development Officers should be appointed just as there are Block Development Officers. The Working Group should pay attention to deal with special facilities to the tribals in a separate chapter in their Report. We must cater to the needs of the tribal areas so far neglected.

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज): इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं ।

30—35 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी मैं समझता हूं कि जो लिस्ट शड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज की है वह राशनालाइज नहीं हुई है । बहुत सी हरिजन और ट्राइबल जातियों को संविधान में मान्यता नहीं मिली है । इनकी गणना की जाए तो यह करोड़ों में होगी । दूसरी एनामली यह है कि बहुत से राज्यों में ट्राइब्ज जो है, उनको शड्यूल्ड कास्ट्स में शामिल किर लिया गया है । मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं । 1962 से उत्तर प्रदेश की सरकार बराबर केन्द्र को अपनी सिफारिश भेजती आ रही है कि मिर्जापुर, इलाहाबाद बुन्देलखण्ड के जो हिस्से हैं तथा हिमाचल के उत्तरी हिस्सों में तराई में जो ट्राइब्ज रहती हैं नैनीताल तथा अन्य भागों में, उनको ट्राइब्ज में शामिल किया जाए लेकिन उस हेतु केन्द्र अभी तक कोई संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाया है । 1967 में इसके बारे में एक विधेयक यहां आया था जिसको किसी कारणवश वापिस ले लिया गया था । जनता राज्य में कुछ संशोधनों के साथ उसको फिर पेश किया गया लेकिन वह पास नहीं हो सका । जो संशोधन जनता राज्य के वक्त या कान्ग्रेस शासन के वक्त आया था उसमें भी बहुत सी जातियां छूट गई थीं और उसमें बहुत सी एनामलीज़ थीं । पिछली बार मैंने मंत्री महोदय से पूछा था तब उन्होंने कहा था कि अगले सैशन में यानी इस सैशन में इसको हम लाएंगे । लेकिन कार्य सूची को देखने से पता चलता है कि कोई इसके संबंध में संविधान संशोधन विधेयक नहीं आ रहा है । मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा आभारी हूं कि केन्द्र की स्वीकृति प्राप्त हुए बगैर ही उसने ट्राइब्ज की लिस्ट एनाउंस की और उनकी जो समस्याओं की नेचर है उसके अनुसार डिवलपमेंट के काम करने की स्कीमें बनाई लेकिन जो सहायता केन्द्र द्वारा स्वीकृति मिल जाने पर मिलती है वह चूंकि नहीं मिली इसलिए बहुत ज्यादा फायदा उन लोगों को नहीं मिला । ट्राइबल्ज़ के लिए जो उत्तर प्रदेश की एडजायनिंग स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, बिहार है, वहां जो कुछ हो सका वह उत्तर प्रदेश में मान्यता न मिलने के कारण नहीं हो सका । इसलिए एक कम्प्रिहैंसिविल इसके विषय में आना चाहिये और जो जातियां छूट गई हैं उनको शामिल करने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

एक और बात आप देखें । मध्य प्रदेश में एक जाति एक जिले में, एक पार्टिकुलर एरिया में और ट्राइब है तो दूसरे ज़िलों में जहां उनकी संख्या काफी भी होती है उनको ट्राइब नहीं माना जाता है । सीमा को हटाने के बारे में एक बिल लाया गया था लेकिन विभिन्न राज्य सर-

कारें इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही हैं । जो बिल पास हुआ था उसके मुताबिक राज्य सरकारों को निर्देश किया गया था कि वे शीघ्रसे शीघ्र सीमा की पाबन्दी को दूर करें। सीलाबन्दी के कारण बहुत से हरिजन उन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो उनको मिलनी चाहिये और ये लोग महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं, बिहार तथा दूसरी जगहों पर भी हैं ।

हील आफ दी विल्लेज के आर्थिक डेवलेपमेंट के जो कार्यक्रम बने हैं ये भारत के केवल 74 गावों पर लागू हुए हैं । यदि आप आर्थिक विकास करना चाहते हैं, हरिजनों और आदिवासियों का और सब प्लांज की बात करते हैं तो निश्चित रूप से छटी योजना में इसका आप विस्तार कर और पूरे हिन्दुस्तान में जहां जहां पर ऐसे पिछड़े हुए पाकेट्स हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में उनको हाथ में लें ।

राज्य सरकारों को जो केन्द्र से निर्देश जाते हैं उन का पालन नहीं होता है । अभी हिमाचल प्रदेश के हमारे एक साथी कह रहे थे कि वहां पर हरिजनों की आबादी 22 प्रतिशत है लेकिन रिजर्वेशन आप केवल सात प्रतिशत देते हैं । क्यों ऐसी धांधलेबाजी हो रही है ? कानूनी उन का जो हक है वह उन को क्यों नहीं मिल रहा है ? केन्द्र से बहुत से आदेश, होम मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से आदेश राज्यों को भेजे जाते हैं । एक आदेश यह भजा गया था कि हर राज्य में, हर जिले में शड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब का एक न एक अफसर जरूर होना चाहिये । लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है । यदि आप राज्य सरकारों से इन का पालन नहीं करवा सकते हैं तो आप ऐसे आदेश न दें क्योंकि इस प्रकार के वक्तव्य दे देने से जनरल कास्ट्स का हरिजनों और आदिवासियों के प्रति विद्वेष पैदा कर देते हैं । या तो आप इन बातों को पूरा करें, नहीं तो इस तरह के स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस से झगड़ा, ईर्ष्या और द्वेष की भावना पदा होती है । बहुत से अधिकारी शेड्यूल्ड कास्ट्स के अधिकारियों को अक्षम सिद्ध करना चाहते हैं ।

अलीगढ़ में कलक्टर और एस० पी० की कोई गलती नहीं थी, लेकिन किसी को सी० आई० डी० में डाल दिया, किसी को कहीं डाल दिया । कई सरकारी अधिकारी जो हरिजन और आदिवासियों के विरोधी हैं, यह सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी निकम्मे हैं, ताकि वह कह सकें कि हम ने काम किया था, यह नहीं कर सके । यह भावना दूर होनी चाहिये । जब तक यह भावना दूर नहीं होगी, तब तक इन वर्गों का कल्याण होने वाला नहीं है ।

30 सालों के बाद भी केन्द्र और राज्यों में रिजर्वेशन पूरा न होने का कारण यह है कि एपाइन्टमेंट करने वाले अधिकारियों की नियत साफ नहीं है । बिहार के एक साथी ने कहा है कि ऐसे लोगों को उचित दण्ड दिया जाये । उचित दण्ड की कोई परिभाषा नहीं है । जो अधिकारी कोटा पूरा न करता हो, उस को डिसमिस किया जाये और आवश्यकता पड़ने पर जेल की भी सजा दी जाये, क्योंकि कांस्टीट्यूशन में जो प्रावधान है उसने उस का उल्लंघन किया है ।

माननीय सदस्य श्री पासवान अक्सर हरिजनों और आदिवासियों की बात कहते है और सारा सदन उनके साथ सहमत होता है । अभी हम एक दौरे पर तमिलनाडू गये थे । एक जगह 17 हरिजन स्त्रियों का रेप किया गया, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नही की । कहा जाता है कि इसमें पोलिटिकल प्रेशर पड़ा है । हमारा ख्याल है कि वह ग्रुप यहां आया था और प्राइम मिनिस्टर से मिला था ।

**श्री राम विलास पासवान** : उसमें केन्द्रीय मंत्री का हाथ है ।

**श्री राम प्यारे पांनिका** : मंत्री का हाथ है या नहीं है मैं नहीं कह सकता हूं । सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष, हर सब लोगों को इस तरह के अत्याचारों की तरफ ध्यान देना चाहिये । श्री पासवान इस प्रश्न को उठाने वाले थे ।

**श्री राम विलास पासवान** : मैंने अपने भाषण में इसको उठाया है ।

**श्री राम प्यारे पांनिका** : श्री पासवान मौके पर थे, उन्होंने सब लड़कियों के बयान लिये, मैं उनका आभारी हूं ।

इन वर्गों के विकास के लिये वित्त निगम बनाये गये हैं, लेकिन इन लोगों को सहायता देने वाले जो ऊंचे अधिकारी है, वे ऐसे झंझट लगा देते है, हरिजनों को इतनी फार्मेलिटीज पूरा करने के लिये बाध्य कर देते है कि उन्हें वह सहायता नहीं मिल पाती है । ये निगम केवल अखबारों की शोभा बढ़ाने के लिये और हरिजनों को संतोष देने के लिये बनाये गये है । मंत्री महोदय इस बारे में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के रिजल्ट मंगायें। जिला स्तर पर कलेक्टरों को जिम्मेदार बनाना चाहिये । आज स्थिति यह है कि हरिजन कल्याण अधिकारी रिकेमंड करता है, फिर कागज कलेक्टर के पास जाता है और उसके बाद जब वह वित्त निगम के पास पहुंचता है तब वहां ओबेर्जेक्शन लगा दिया जाता है, जिसका परिणाम यह है कि सालों तक सहायता नहीं मिलती है और वह सारा रूपया लेप्स हो जाता है ।

डी० पी० ए० पी० के तहत सूखाग्रस्त लोगों और हरिजनों की सहायता को व्यवस्था की गई है, वह खर्चा केवल इस लिये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उससे हरिजन और आदिवासियों की तरक्की होगी । सरकार पिछले 33 सालों का सर्वेक्षण कराये कि इन वर्गों के विकास के लिये जो धनराशि दी गई थी, उसका कितना परसैन्ट रूपया खर्च किया गया है ? आप देखेंगे उसकी मात्रा बहुत कम है । केवल बजट में प्रावधान करने से काम नहीं चलता है, इम्पलीमैंटेशन को देखने की जरूरत है । इसके लिये केन्द्रीय सरकार के स्तर पर एक सशक्त बाडी होनी चाहिये । यह कहने से भी काम नहीं चलेगा कि हरिजन और आदिवासियों को उठाना प्रदेशों का काम है । यह हमारा काम है । यहां पर इसके लिये एक सैल बनाया जाये और सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर स्टेट को डायरेक्शन्ज भेजे जाएं । जो स्टेट गवर्नमेंट उन डायरेक्शन्ज को न मानें, उन्हें दंडित करने का प्रावधान दिया जाये ।

पुनः मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी शेड्यूल ट्राइब्स की जातियां है जो कि लिस्ट में नहीं आई है जिनको कि लिस्ट में लाया जाना चाहिए । माननीय गृह मंत्री जी सक्षम है, बैठकर सारी लिस्टों को देख लें । एक मछिया जाति है, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसी है, ट्राइबल्स है, लेकिन उनको लिस्ट में नहीं लिया गया है । उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास एक बेहरा जाति है वह भी लिस्ट में नहीं है । इस प्रकार से 15 जातियां और है, जिनको लिस्ट में लिया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी समुचित विकास के कार्य-क्रम बनाए जाते है उनके इंप्लीमेंटेशन की व्यवस्था करें ।

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : आज हम छठी पंचवर्षीय योजना डिसकस कर रहे हैं । पांचवीं योजना बीत चकी है । सदन में जिस प्रकार से सदस्यों की उपस्थिति

है उससे जाहिर होता है कि ऐसे मामलों में ऐसे संकल्प में जो बड़े-बड़े जन-प्रतिनिधि हैं वे कितने इंट्रेस्टेड हैं । आज मैंने 10 अप्रैल का अखबार पढ़ा था, जिसमें त्रिपुरा में 18 लड़कियों को रांची से ले जाया गया और उनको कई महीने तक वहां रखा गया और बलात्कार किया गया । ऐसे ही और भी लाखों लोग अपनी भुखमरी को शांत करने के लिए दूसरे जिलों, पंजाब, यू० पी० में जाते हैं । सैकड़ों लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, किस तरह से वे व्याभिचार के शिकार होते हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । इस प्रकार की स्थिति से हम अपना जीवन स्तर ऊंचा नहीं कर सकते हैं । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० के अन्दर कितने आदिवासियों और हरिजन लड़कियों को उन ठेकेदारों के चंगुल से बचाया है जो इन लोगों को प्रलोभन दे कर ले जाते हैं । आज आदिवासियों में जो बड़े-बड़े मंत्री बन चुके हैं, जो पदाधिकारी हैं क्या आदिवासियों के नाम पर जो पैसा रखा जाता है उसका लाभ वही लोग उठाएंगे, इन गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा ? आदिवासियों के नाम पर कमिश्नर अपने चार लड़कों को शिक्षा दे सकता है, लेकिन गरीब आदिवासी को शिक्षा पाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है । हम योजनाएं बनाने में अफसरों की फौज तैयार करने में और स्कीमें बनाने के लिए तैयार हैं तो हमें इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए । मैं 20 साल तक नगरपालिका का चेयरमैन रहा हूं । आज भी इन लोगों द्वारा सिर पर मैला ढोया जाता है । मैं कहता हूं कि इसको कानून द्वारा बंद कर दीजिए । किताबों में डाल दीजिए कि मैला नहीं ढोया जाएगा । अगर कोई हिम्मत वाले आदिवासी हैं तो ये काम बन्द कर दें और जो अपने आप को सवर्ण समझते हैं उनको यह काम करने दीजिए । सारे लोगों के लिए आप एक कानून बना दीजिए । क्या आप आंकड़े बताएंगे कि आप ने जो सन् 1955 में अनटचेबिलिटी का कानून बनाया था, उसमें जिन लोगों ने अछूतों जैसा व्यवहार हरिजनों के साथ किया है, कितने लोगों को अब तक आप ने सजा दी है या कनविक्ट कराया है । ये आंकड़े गृह मंत्री जी दे दें । आज भी कई इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, जिन को कहना चाहिए अधिकांशत: वे साहूकार हैं, जिन्होंने इन लोगों का शोषण किया है । आप शोषणविहीन समाज बनाना चाहते हैं लेकिन उस के लिए कुछ नहीं हो रहा है । यहां पर बड़े अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग हैं और अभी एक भाई कह रहे थे, राज्य सभा के एक मेम्बर की बाबत उन्होंने कहा, कि उन्होंने उन लोगों की जमीन हड़प ली । उन्होंने इस सदन में इस बात को कहने की हिम्मत की । मैं पूछना चाहता हूं कि किसी में इस बात की हिम्मत है कि वह उन के खिलाफ़ कार्यवाही करे, जिन लोगों ने ग़रीब लोगों की जमीन हड़प ली है । सीलिंग कानून लाये जाते हैं लेकिन होता क्या है कि सीलिंग का उल्लंघन करने वालों से समझौता कर लेते हैं । पूंजीपतियों से वे मिले रहते हैं और क्रान्ति क्रान्ति की बात करते हैं । उन के घर भी वे चले जाते हैं और उन के खिलाफ कुछ नहीं होता है । तो मेरा कहना यह है कि शोषणविहीन समाज की बात तो हम लोग करते हैं लेकिन हमारा जो समाज है, वह शोषण पर ही टिका हुआ है और हमें उस को मिटाना होगा । क्या गांवों में आदिवासियों और हरिजनों को लोन मिल सकता है ? आप ने जो 2 हज़ार करोड़ रुपये और 5 हज़ार करोड़ रुपये की इन के लिए योजना बनाई है, क्या केन्द्रीय सरकार यह देखती है कि वह रुपया कैसे खर्च होता है । मेरा कहना यह है कि अगर इन के लिए आप को कुछ करना है, तो इस रुपये को खर्च करने के लिए आप डेडीकेटेड वर्कर्स को

[श्री मूल चन्द डागा]

काम में लगाइए। सत्ता में आज जिन लोगों को लगा रखा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे काम नहीं करना चाहते हैं। उन के दिमाग में तो यह बैठा हुआ है कि हमें इन का शोषण करना है। वे शोषण पर टिके रहना चाहते हैं। इस शोषण को मिटाना होगा। इस के साथ ही साथ हमारे जो हरिजन भाई हैं, जो आदिवासी भाई हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर यहां आते हैं, उन की भी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को मुकाबला करना वे सिखाएं। नहीं तो, आने वाले जमाने में दीवारों पर यह लिखा होगा कि वे मेम्बर बने हुए थे और इतने साल तक मेम्बर रहे लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। यहां पर पासवान साहब हैं और दूसरे लोग हैं, उन को इस तरफ काम करना होगा कि कैसे इन लोगों में मुकाबला करने की हिम्मत आए। हम यह देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य की बातें बहुत की जाती हैं और इन लोगों के लिए जो स्कीमें हैं, उन का प्रचार करने में आप बड़े माहिर हैं। रोजाना रेडियो पर सुनते हैं कि आदिवासियों का कल्याण हो रहा है। क्या कल्याण हो रहा है ? जो रोस्टर प्रणाली आप ने बनाई है और जो रिजर्वेशन इन लोगों के लिए किया है, मैं आप को बताऊं कि उस में उन को ठीक रिजर्वेशन नहीं मिलता है। मैं नगर-पालिका के बारे में पूछा कि कितना परसेन्टेज हरिजनों का है, तो एक अफ़सर ने बताया कि 18 परसेण्ट से ज्यादा है। उस में उन्होंने जो 300 सफ़ाई करने वाले कर्मचारी थे, उन को भी जोड़ लिया। मैंने कहा कि बाबू और इंजीनियर कितने हैं, तो उन के सही आंकड़े नहीं मिले। आंकड़े जो दिये गये उन में जो सफाई करता है और मैला ढोता है, उन सब को मिला दिया। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ने जो इन के लिए योजनाएं बनाई हैं और उन में जो पैसा मुकर्रर किया है, उस रकम को आप ले सकेंगे और उस का उपयोग इन के लिए कर सकेंगे या नहीं, इस के बारे में बताएं।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आदिवासियों के उत्थान के लिए पहला काम तो यह करना होगा कि जो सीलिंग ला है, उस को सख्ती से लागू करना होगा और उन लोगों को योजनाओं के कार्यान्वयन में इनवोल्व करना होगा, उन लोगों को उन में लेना होगा। झारखण्ड राज्य के लिए वे आन्दोलन करते हैं और कहते हैं कि उसे हमारी जमीन दे दो, हमारा वन दे दो। आपने वन छीन लिये, जंगल ले लिये और धंधे से उन को बेरोजगार कर दिया आज आप उनकी हालत क्या कर रहे हैं ? हमारे राजस्थान में कितने ही वन साफ हो गये। ठेकेदारों, राजनीतिज्ञों और चोटी के शासन करने वाले लोगों ने उनके वनों को साफ कर के अपने उपयोग में ले लिया। आज आदिवासी की अपनी धरती नहीं है जिस पर रह कर वह गुजारा कर सके।

मैं कहता हूं कि आदिवासियों की जितनी वन सम्पत्ति है वह सारी आदिवासियों के विकास के काम में लाई जानी चाहिए और किसी काम में नहीं लाई जानी चाहिए। आपकी गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं, आप उनमें से किसी की भी रिपोर्ट उठा कर देख लीजिए, किसी में तीन परसेंट आदिवासियों को नहीं लगाया गया है। आप प्राइवेट सेक्टर वालों से, उनकी इंडस्ट्रीज से कह सकते हैं कि आपको इतने परसेंट आदिवासियों को अपने यहां लगाना पड़ेगा।

श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के नाम से श्री सिद्धिर गोमांगो साहब जो संकल्प लाये हैं उन के लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने

गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप छठी पंचवर्षीय योजना में दो हजार करोड़ रुपये हरिजनों के लिए रख रहे हैं और एक हजार करोड़ रुपये आदिवासियों के लिए रख रहे हैं। यह सारा का सारा रुपया उनके विकास के काम में लाया जाए ताकि उनका विकास हो सके । आप कम से कम रेवेन्यु एक्ट में या सीलिंग एक्ट में ऐसा कानून तो बना दीजिए कि उनकी जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती है । कोई भी उनकी जमीन अपने नाम नहीं करा सकता है । ऐसे कानून तो हैं लेकिन उनकी अनुपालना नहीं होती और होशियार लोग उनकी जमीनें हड़प लेते हैं । मैंने त्रिपुरा में देखा कि सारे आदिवासियों की जमीनें बड़े बड़े लोगों ने हड़प ली हैं । साहूकार लोग, मुनाफ़ाखोर लोग उनकी जमीनें दबाये बैठे हैं । आज हरिजनों और आदिवासियों की यह हालत है ।

आपने इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट पास कर रखा है लेकिन बलात्कार अब भी उनकी औरतों के साथ हो रहे हैं । जुल्म जो होता है वह गरीब पर ही होता है अगर कोई सब से बड़ा अभिशाप है तो वह गरीबी है । आदिवासियों के घरों में ही हमने उनका शोषण कर दिया, उन की सम्पत्ति का शोषण कर दिया । आदिवासियों से कह दिया कि हम तुम्हारे लिये रामराज्य लायेंगे । पता नहीं यह रामराज्य कब आयेगा। छठी पंचवर्षीय योजना में भी अगर हमने अपने हरिजन और आदिवासी भाइयों के लिए कोई काम नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया तो समझ लीजिए कि वे लोग ऐसे ही रहने वाले हैं । आप उन लोगों के लिए कानून बनाइये । जो आदिवासी मालदार हैं आप उनको अलग कर दीजिए, उनमें जो कमजोर लोग हैं उन को लाभ पहुंचाइये । यही मेरा कहना है ।

SHRI PIUS TIRKEY (Alipurduar): The scheduled castes and scheduled tribes were exploited and persecuted for centuries by the British imperialists and after Independence by the Indian vested interests.

The tribals have been reduced to destitution and are today one of the ruthlesly oppressed sections of our country.

The so called process of integration, modernisation and industrialisation has shattered the very foundation of their socio-economic life of tribals in India.

They have lost their lives. The non-tribal contractors, moneylenders have made the tribals practically slaves.

The lakhs of tribal population uprooted due to industrial project in tribal belt have not been economically settled. According to the 1971 census, the tribal population in India was 38 million excluding Assam and Andaman and Nicobar Islands where the tribals who have moved for jobs numbering about 45 lakhs in Assam alone have been shown as O.B.C.

The Oraon, Munda, HO, Santhal, Kharia are the major tribal communities in what is known as central and eastern India. Among the tribals 80 per cent are to-day agricultural labourers in the central zone. The tribals were never communal. The Kol Rebellion of 1832, the Santhal Rebellion of 1857-58 and Birsabhagwan Movement of 1895—90 were against exploiters e.g. against money-lenders, tax collectors, landlords and police. So was Kol Uprising in 1931, Hajang unrest, 1944, Naxalbari 1967, Birsa Dal Movement in Ranchi 1968-69.

The Central Government spent crores of rupees for the rapid development of the tribals and scheduled castes in successive five years plan, second, third, fourth and fifth to the tune of 7.16, 15.53, 20.04, 32.50 and

[Shri Pius Tirkey]

19.00 crores respectively but the problems of the tribals and the Scheduled Castes instead of improving found worse this time because of our mixed economy and capital way of development.

I should like to mention the six projects under the name of tribal development agencies (T.D.A.):

(1) Andhra Pradesh (Srikakulam)

(2) Bihar (Singhbhum)

(3) Madhya Pradesh (Dandewad and Konta)

(4) Orissa (Gunupur and Parlakhemundi)

(5) Keonjhar (Orissa)

(6) Balliguda (Orissa)

They were taken up in 1973-74 and continued up to fifth plan 1978-79.

The report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1978-79 has uncovered the variety of financial and administrative irregularities. The total grant released was Rs. 17.38 crores upto March 1979. The T.D.A. accounts showed Rs. 16.66 crores spent but the utilization certificate available is only for Rs. 14.63 crores. The T.D.A. at Keonjhar (Orissa) identified 79,440 deserving cases actually and the cases thus identified were only 71,165 leaving 8,275 ghost cases. No records have been maintained by any of the T.D.A. to indicate the actual extent of these benefits. The T.D.A. administartive expenses surpassed the restricted limit of 5 per cent and spent 7.5 per cent of the total outlay. In case of Balliguda, 14 per cent has been shown as administrative expenses. The report says no general evaluation of the programme showing its overall impact on tribal life in regard to literacy, sanitation, living conditions, was made by the agencies concerned.

Sir, the Government should learn a lesson from the Christian Missionary who have successfully been working in many fields in tribal areas of our country. The government should not blame the good work done by them but should encourage them. People those who really understand the culture, language and want to serve should only be deputed for the purpose of development of these people.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your time is over. (*Interruptions*)

SHRI PIUS TIRKEY: Just one minute, Sir, because this is very important.

The blanket blame of the Central Government and some State Governments on the Christian Missionaries has irritated the tribals became only the Missionaries have done good work at least in the field of education and for the social upliftment of these people. So, the Government agencies should go and learn from these Missionaries on the point of upliftment of these tribal people because so much money has already been spent and crores of rupees are going to be spent and it is not going to be on the upliftment of these people. So, I request that the Government should seriously think of giving money to State Government and look after what is happening today and who is actually working for the tribals and on what kind of development work that money is being spent. That should be the look out of the Government, because the President of India is the sole authority for the development of the tribal people all over India. So, one Central Committee be formed which should look into and must contact those who know the life habits, language, culture and those who can bring homely feelings to the tribal people should only be allowed to go on the development work for social, economic and cultural uplift. Perhaps then only the government can do something worth mentioning to achieve to get the tribals on the mainstream of the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Chakradhari Singh.

श्री चक्रधारी सिंह (सरगुजा) : मैं श्री गोमांगो द्वारा जो संकल्प रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। हरिजनों और आदिवासियों को जो कष्ट हैं तथा उनके जीवन की जो मार्मिक कहानी है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

हमें स्वतंत्र हुए 32 वर्ष हो गए हैं। संविधान में हरिजनों और आदिवासियों के कल्याण की व्यवस्था की गई है, तथा इसके लिए, उस में प्रावधान बनाये गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि सरकार उनकी उन्नति के लिए क्या क्या करेगी। सरकार द्वारा जो नीति निर्धारित की गई है, जो नियम बनाए गए हैं, वे बहुत अच्छे हैं। उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हम आदिवासीगण भविष्य में विकास की सीमा को स्पर्श कर लेंगे और उनका जीवन स्तर दूसरी जातियों के लोगों के बराबर हो जाएगा लेकिन वास्तविकता भिन्न है क्योंकि यह केवल पुस्तक के पन्नों में है, व्यवहार में नहीं क्योंकि जितना अंश उनके हिस्से के लिए रखा गया है वह भी उनको प्राप्त नहीं/ होता है, उनके हिस्से की चीज़ उनके अधिकार की वस्तु उनको प्राप्त नहीं होती है।

मैं उदाहरण देता हूं। आजादी के बाद किसानों की विपुल पैदावार हो सके इसके बारे में लिट्रेचर निकाला गया और उस में बताया गया कि इस प्रदेश के अमुक जिले में इस किस्म की जलवायु है और इस जल-वायु में अगर इस किस्म का गेहूं बोया जाए तो एक एकड़ में पचास मन फसल पैदा होगी। एक एकड़ में इतनी खाद दी जाये, इतनी बार सिचाई की जाये, इस सब के बारे में लिट्रेचर निकाला गया। इस देश के किसान अधिकतर अशिक्षित और आदिवासी हैं जो आज तक अपनी पुरानी पद्धति से ही कृषि का कार्य करते हैं, परन्तु अब उन्हें विपुल पैदावार का कार्यक्रम बताया गया है। आज वह इस खुशी में हैं कि इस नई पद्धति के द्वारा बहुत अधिक अनाज पैदा होगा और वे लाभान्वित होंगे। इसलिए उन्होंने बैंक में जा कर ऋण लिया, उनके नाम से खाते में ऋण लिख लिया गया, लेकिन वास्तव में स्थिति भिन्न है क्योंकि दायित्व अधि-कारियों और ग्रामसेवकों को सौंपा गया था, कि वह बतायें खेती कैसे हो। उनके द्वारा ऐसा न करने से अधिक पैदावार किसानों को नहीं मिल पाई है और उसका नतीजा, अंजाम यह हुआ कि उनका कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है। इस तरह से इस समय उन को अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ रहा है। या तो उनकी जमीन बैंक के द्वारा नीलाम कर दी जाती है या सेठ-साहूकार जमीन को हड़प लेते हैं।

मेरा सुझाव है कि जो नीति सरकार के द्वारा बनाई गई है, वह बहुत अच्छी है, उससे आदिवासी और हरिजनों का विकास हो सकता है और निस्संदेह होगा, परन्तु उसके लिए कार्य करने की पद्धति को बदलना होगा। वह कार्य जो सब को करना चाहिए, उसके सुचारुरूप से न होने की वजह से अभी तक जो आदिवासी और किसान हैं, वह अपने पुराने स्थान पर ही हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाये, गांव में अधिकतर आदिवासी और किसान हैं जिनके लड़के स्कूल और कालेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ उनको अक्षर ज्ञान ही है, उनके दिमाग में कोई ऐसा डैवलपमैंट नहीं हुआ है जिससे वह अपने आप में यह महसूस कर सकें कि उन्होंने एक अच्छी शिक्षा हासिल कर ली है। कहीं भी किसी क्षेत्र में जब वह आगे आते हैं तो या तो उनके पास बहुत

[श्री चक्रधारी सिंह]

कम डिग्री रहती है या अगर उनको डिग्री मिली भी है तो भी उसका फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित नीति का कि आदिवासी और हरिजनों को नौकरी में संरक्षण दिया जायेगा या उनके लिए स्थान सुरक्षित किया जायेगा, पालन नहीं हो रहा है। इस देश में ऐसे भी बहुत बड़े-बड़े पद हैं, जहां पर आदिवासी और हरिजनों के शायद सूची में अंक कम होंगे पर उनको नहीं लिया जाता है। जितने अंक उनको मिलने चाहिये, वह उनको प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए उनके लिए जो स्थान सुरक्षित है, वह स्थान उनको नहीं दिया जाता।

इस प्रकार हम देखेंगे कि आदिवासी या हरिजन, जो उनका अधिकार है, जो सरकार के द्वारा आरक्षण और सुरक्षित स्थान दिये गये हैं, उन स्थानों पर आज तक आदिवासी और हरिजन नहीं पहुंच पाये हैं।

सामाजिक क्षेत्र में भी हम देखेंगे कि आदिवासियों और हरिजनों को जो सवर्ण जाति के हैं उनके बराबर, सरकार के चाहते हुए भी अधिकार नहीं मिला है सरकार सुविधाएं प्रदान करते हुए भी अभी तक उन आदिवासी और हरिजनों को इस स्तर पर नहीं ला सकी है कि वे अपने को यह कह सकें और स्वयं में महसूस कर सकें कि वह जिन्दगी के रास्ते में और लोगों के साथ हैं।

जहां 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं वहां गांव के निवासी और दूसरी जातियों के लोग जो कि आदिवासी श्रेणी में ही आते हैं उनके जीवन को देखना चाहिए। उनके तन में न लंगोटी है न खाने के लिए अनाज है। आज तक हम उनको अपने करीब नहीं ला पाए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गरीब आदिवासी पहले था आज भी वह उसी स्तर पर कायम है। आप 1947 से देख लें, जितनी भी आपने हरिजन-आदिवासियों को सुविधाएं दी है, जितने उनके लिए अनुदान दिए है, उस के अनुपात से उनकी जनसंख्या भी बढ़ गई है। जिन सरकारी विभागों को इन लोगों के विकास के लिए काम सौंपा गया है अगर वह विकास का काम नहीं हुआ है तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि वह काम अभी तक क्यों नहीं हुआ है ? सरकार द्वारा जो ऋण बीज, खाद, पंपिंग सैट इत्यादि के लिए दिया जाता है उसके उपयोग और विकास की ओर ध्यान न देकर उसकी वसूली की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कृपया मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देने का कष्ट करें कि यदि उसका उत्पादन कम हो रहा है तो वह ऋण की अदायगी कैसे करेगा ? आप देखें कि 1947 से पहले जो आदिवासी किसान अपने बलबूते पर खेती करते थे वे बहुत खुशहाल थे, लेकिन आज वही किसान शहरों की तरह आगे बढ़ने की होड़ में कर्ज लेकर कर्ज में दब गया है। वह आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से भी वह दब गया है कि वह अपने आपको मनुष्य कहलाने में भी संकोच करता है। सभ्य समाज में आगे आने में अपने आप में हीनता की भावना महसूस करता है।

MR. DEPUTY SPEAKER: We have already extended the time for this Resolution by one hour. There are many more Honourable Members who want to particpate in the discussion. Now it is 5.27 p.m. So, is it the pleasure of the House to extend the time?

SOME HON. MEMBERS: Yes, we should extend it by one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. It is extended by one hour.

**श्री चक्रधारी सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आदिवासी और हरिजन लोगों का वास्तव में विकास

करना है, अगर उनको समाज में आगे लाना है तो सरकार को चाहिए, जो नीतियां निर्धारित की गई है उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए वे नीतियां वास्तव में सही रूप में कार्यक्रम में परिणित की जायें जो उस का इम्पलीमेंटेशन है, उस का वास्वविक फायदा उन विशेष वर्गों को मिले और वे अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्य को महसूस कर सकें। जब तक सरकार का उचित सहयोग और मार्गदर्शन नहीं रहेगा, तब तक इन आदिवासियों और हरिजनों की तरक्की का मार्ग अवरूद्ध रहेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया ।

**श्री गो० नामग्याल** (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, जो रेजोलूशन श्री गिरिधर गोमांगो ने हाऊस में रखा है, वैंकवर्ड क्लासेज, शुडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स की तरक्की के बारे में, उन की बहबूदी के लिए जो कुछ होना चाहिए, उस के लिए जो यह रेजोलूशन है, इस पर दो राय नहीं हो सकती हैं । इनके जो कुछ हक हमारे कांस्टीट्यूशन में हैं, वे उन को मिलने चाहिए ।

मेरी जो राय इस बारे में है, मैं उस के लिए पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहता हूं । पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी के दरमियान कुछ कोरेसपोन्डेंस उन की क़िताबों में है । यह उस वक्त की है जब सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे । उन के कुछ ख्यालात इस तरह के थे । उन्होंने कहा था कि हिमालियन स्लोप के जितने मंगोलियन हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं करना चाहिए । मैं समझता हूं कि शायद वही हमारी पालिसी रही है । जहां तक इन आदिवासियों का सवाल है, उन्होंने वक्त के साथ प्रूव कर दिया है कि उन के जो ख्यालात थे, वे सही नहीं थे ।

दूसरी बात यह है कि हमारे जो मिज़ोरम, नागालैंड और कुछ और आदिवासियों के खास तौर पर ऐसे इलाके है, जहां के लोगों के दिलों में, शायद यही वजह हो सकती थी, जिस के कारण तकलीफ पहुंची होगी । कुछ ऐसे ही ख्यालात हमारे नेता लोग रखते थे और बाद में हमारे मुल्क के आजाद होने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर उन इलाकों में भेजे गये, उन का एटीट्यूड उन लोगों के साथ जो रहना चाहिए था, वह नहीं रहा । उन्होंने यह देखा कि ये पहाड़ी लोग हैं, जंगली है और बिल्कुल अनपढ़ हैं । लिहाजा जिस ढंग से उन को चलाना चाहिए था, उस तरीके से उन्होंने नहीं चलाया और जैसा बर्ताव पहले ब्रिटिशर्स हमारे मुल्क के बाकी लोगों के साथ किया करते थे, वही सलूक इन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने वहां के लोगों के साथ करना शुरू किया । नतीजा यह हुआ कि वहां के लोगों के दिलों में तकलीफ पहुंची । तो मेरे कहने का मकसद यह है कि ये जो ख्यालात हैं, ये निकाल देने चाहिएं और जो भी अफसर वहां जाते हैं उन को वहां की प्राब्लम्स को समझना चाहिए । वहां के लोगों की जो थींकिंग है, रहन-सहन के तरीके हैं, उनको समझे बिना आप दिल्ली के रूल उन पर एप्लाई करना शुरू कर देते हैं । नतीजा रिवोल्ट होता है । उन लोगों में नाराजगी पैदा हो जाती है । लिहाजा म मिनिस्टर आफ स्टेट साहब से यह गुजारिश करूंगा कि जो भी आप वहां आफिसर भेजें वे खास तौर पर

[श्री पी० नामग्याल]

सेलेक्टेड केडर के होने चाहिएं । होना तो यह चाहिए कि उसी इलाके के लोगों को कांफिडेंस में लेकर उन्हीं को रिस्पांसिबिलटीज सौंपें । आपके लिए वे बहुत यूजफूल हो सकते हैं, वहां के लिए भी और मुल्क के लिए भी वे बहुत यूजफूल हो सकते हैं ।

मैं अपने इलाके की कुछ और बातें भी कहे बिना नहीं रह सकता । हमारा इलाका न शैड्यूल्ड काव्ट्स में है, न शैड्यूल्ड ट्राइब्स में है और न वह बेकवर्ड एरिया है । यह हमारी बदकिस्मती ही समझिये कि हमें शुरू से ही ऐसा रखा गया जैसे कि हम हर तरह से दिल्ली की बराबरी करते हों, दिल्ली के रहने वालों के साथ हर बात में मुकाबला करते हों। आप को पता है कि हमारा स्टैंडर्ड आफ लिविंग हमारा स्टेन्डर्ड आफ एजूकेशन क्या है ? हम किसी भी बात में आपके मुकाबले में नहीं बैठ सकते, न बैठ सके हैं और न आइन्दा भी ऐसा हो सकेगा । इसका नतीजा यह है कि हमारे सारे इलाके से सिर्फ दो आई० ए० एस० और एक आई० एपी० एस० आफिसर हैं । हमारे मुकाबले में लाहौल स्पीति को ले लीजिए । हमारी और उनकी कल्चर एक है, रहन-सहन एक है । चूंकि वे पंजाब के साथ रहे और उस समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरों थे जिन्होंने कि उन्हें शैड्यूल्ड ट्राइब्स में रख दिया । वहां की आबादी लद्दाख की आबादी से एक चौथाई है लेकिन वहां के आज बीसियों आई० ए० एस० और बीसियों आई० पी० एस० आफिसर हैं । आज उनकी पोजिशन यह है । ये जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं इनमें उनकी यह पोजिशन है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member may continue his speech on the next day.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): May I draw your attention to Direction No. 2?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now there is a vacuum. Please sit down.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Now you are coming to the half-hour discussion..

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have not yet come to it.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am talking about what comes in between the finishing of one subject and the starting of another.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What do you want to submit?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: It is a matter of grave importance. The Home Minister is here. There is some development in Assam. He should give us a statement on it.

MR DEPUTY-SPEAKER: It is all right.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: What is happening in Assam is not all right.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Half-hour discussion on Mahatma Gandhi. Shri Rajda.

---

**17.30 hrs.**

## HALF-AN-HOUR DISCUSSION

### FILM ON MAHATMA GANDHI

SHRI RATANSINH RAJDA: (Bombay South): I am raising a matter of great public importance and significance arising out of the answer given by the hon. Minister to Unstarred Question No. 295

The Government has taken a most unfortunate decision to be co-producers and to finance through the National Film Development Corporation a sum of Rs. 5 crores to Mr. Attenborough. This has raised country-wide contro-